

# यूपीएससी ईपीएफओ मासिक करंट अफेयर्स मार्च 2020

## राजनीति एवं शासन

### अनुसूचित जनजाति पी.आर.आई. प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और 1000 स्प्रिंग्स पहल

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने “स्थानीय स्व सरकारों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और 1000 स्प्रिंग्स पहल शुरू किया है।

### अनुसूचित जनजाति पी.आर.आई. प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य स्थानीय सरकारी स्तर पर इनकी निर्णय निर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर जनजातीय पी.आर.आई. प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है।
- यह संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो जनजातीय आबादी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है और बढ़ावा देता है।
- इस कार्यक्रम को बेहतर कवरेज और तेजी से कार्यान्वयन के लिए व्यापक मोड में लागू किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में एस.टी. पी.आर.आई. प्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

### 1000 स्प्रिंग्स पहल के संदर्भ में जानकारी

इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण क्षेत्रों के कठिन और दुर्गम भागों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच में सुधार करना है।

- यह प्राकृतिक स्प्रिंग्स के आसपास एक एकीकृत समाधान है।
- इस पहल से जनजातीय क्षेत्रों में पानी की प्राकृतिक कमी को दूर करने के लिए बारहमासी झरनों के पानी की क्षमता का दोहन करने में मदद मिलेगी।
- इसमें एक अलग तरह का प्रावधान शामिल है:
  - पीने के लिए पाइपड जलापूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का प्रावधान
  - सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था
  - समुदाय के नेतृत्व वाली संपूर्ण स्वच्छता पहल
  - पिछवाड़े पोषण उद्यान के लिए पानी हेतु प्रावधान
  - जनजातीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना

### स्प्रिंग एटलस के संदर्भ में जानकारी

- स्प्रिंग्स, भूजल निर्वहन के प्राकृतिक स्रोत हैं और भारत सहित दुनिया भर के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं।
- इन आंकड़ों को आसानी से सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जी.आई.एस. आधारित स्प्रिंग एटलस पर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
- वर्तमान में, स्प्रिंग एटलस पर 170 से अधिक स्प्रिंग्स के डेटा अपलोड किए गए हैं।

### सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

- हाल ही में, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की इकाई योजना के अंतर्गत कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
- यह कहा गया है कि परियोजनाएँ लगभग 15,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

### प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संदर्भ में जानकारी



Gradeup Green Card  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
CHECK HERE

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इस योजना की नोडल एजेंसी है।
- पी.एम.के.एस.वाई. में सात घटक योजनाएं हैं
  - मेगा फूड पार्क
  - एकीकृत कोल्ड श्रृंखला और मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचा
  - पिछड़े और अग्रिम लिंकेज का निर्माण
  - खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/ विस्तार
  - कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा
  - खाद्य सुरक्षा
  - गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन और संस्थान

#### उद्देश्य:

- खाद्य प्रसंस्करण मेगा फूड पार्क/ समूहों और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
- पेरिशबल्स के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
- किसानों, प्रसंस्करणों और बाजारों को जोड़ने के लिए प्रभावी पिछड़े और अग्रिम लिंकेज का निर्माण करना।

#### पीरियड गरीबी

- स्कॉटिश संसद ने पीरियड उत्पाद (निः शुल्क प्रावधान) (स्कॉटलैंड) विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सेनेटरी उत्पादों को निशुल्क करना है।
- विधेयक पारित करने के बाद स्कॉटलैंड 'पीरियड गरीबी' को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है।

#### पीरियड गरीबी के संदर्भ में जानकारी

- पीरियड गरीबी, स्कॉटलैंड की वेबसाइट है, जिसमें कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जो महिलाओं के लिए मासिक धर्म को "कठिन अनुभव" बनाते हैं।
- इनमें बेघरता, अनिवार्यता, निरोधक और हिंसक रिश्ते और एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्वास्थ्य स्थितियां शामिल हैं।
- इसे "पीरियड गरिमा" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, इस कानून का उद्देश्य स्कॉटलैंड में एक सार्वभौमिक प्रणाली विकसित करना है, जो "जिनको भी उनकी आवश्यकता हो" के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करेगा।

#### भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं

- बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) (2009) में स्कूलों में पीने के पानी और लिंग-पृथक स्वच्छता सुविधाओं के लिए मानक शामिल हैं।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2011 में चयनित ग्रामीण जिलों में किशोर लड़कियों (10-19 वर्ष) के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना शुरू की गई थी।
- एम.एच. ज्ञान को बढ़ाने, स्वच्छता प्रथाओं में सुधार, सब्सिडी सेनेटरी अवशोषक प्रदान करने और स्कूलों में एम.एच.एम. के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इस योजना को सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया था।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सबला (SABLA) कार्यक्रम पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एक ग्रामीण मां और बाल देखभाल स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित) पर केंद्रित है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सेनेटरी पैड के उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूहों और छोटे निर्माताओं का समर्थन करता है।
- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन भी स्वच्छ भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है।
- मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक जागरूकता दिवस है।

### एकम (EKAM) उत्सव

- उद्यमिता, ज्ञान, जागरूकता और विपणन (EKAM) उत्सव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी-सह-मेला है।

### राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के संदर्भ में जानकारी

- यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग के तत्वावधान में एक शीर्ष निगम है और 1997 से काम कर रहा है।
- यह एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है और आर्थिक पुनर्वास के लिए विकलांग/दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन/ पी.डब्ल्यू.डी.) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और कई कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।

### एन.एच.एफ.डी.सी. की हालिया पहलें इस प्रकार हैं:

- एन.एच.एफ.डी.सी. स्वावलंबन केंद्र (एन.एस.के.)- पी.डब्ल्यू.डी. के कौशल प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में पी.डब्ल्यू.डी. के स्वामित्व वाले सूक्ष्म कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की पहल है।
- दिल्ली और इंदौर में सुरक्षित कैब- सखा कैब्स (एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा वित्तपोषित वाहन) के साथ व्यवस्थापन, में महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए सुरक्षित टैक्सी विकल्प प्रदान करने के लिए महिला ड्राइवरों द्वारा चलाए जाने वाले पी.डब्ल्यू.डी. स्वामित्व वाले वाणिज्यिक वाहनों को चलाया जाएगा।
- सुरक्षित पेयजल ई-कार्ट- आर.ओ. जल वितरण वेंडिंग मशीनों के साथ सुसज्जित ई-कार्ट हैं, ये गाड़ियां स्वच्छता बनाए रखते हुए कागज के गिलास में पानी बेचेगी, ये गाड़ियां संचालन में भारत जल द्वारा समर्थित और एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित होंगी।

### अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र

- हाल ही में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 11 अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र लांच किए हैं।

### अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों के संदर्भ में जानकारी

- यह अक्षय ऊर्जा बिजली उत्पादन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए एक केंद्र है, जिसमें ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और इष्टतम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए “पूर्वानुमान आर.ई. उत्पादन, प्रेषण और वास्तविक समय निगरानी प्रबंधन के लिए एक समर्पित टीम” होगी।
- ये लोड पूर्वानुमान केंद्र हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अक्षय ऊर्जा (आर.ई.) पूर्वानुमान उपकरण से सुसज्जित हैं।
- ये मुख्य रूप से तीन कार्य करेंगे:
  - प्रत्येक संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा का पूर्वानुमान
  - ग्राहकों के लिए अक्षय ऊर्जा का समय निर्धारण
  - आर.ई. संयंत्रों से उत्पादन की निगरानी करना

- भारत सरकार ने आर.ई.एम.सी. को एक केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने की मंजूरी प्रदान की थी और पावरग्रिड को अनिवार्य कर दिया था, जो कि एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सी.पी.एस.ई. है।
- केंद्रों का प्रबंधन भारतीय ऊर्जा प्रणाली संचालन निगम लिमिटेड द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और राज्य स्तर पर स्टेट लोड डिस्पैच केंद्रों द्वारा किया जा रहा है।

### **केंद्र, नदी-लिकिंग परियोजनाओं के लिए विशेष निकाय पर कार्य कर रहा है।**

- केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने के लिए परियोजनाओं को लागू करने हेतु राष्ट्रीय नदी इंटरलिकिंग प्राधिकरण नामक एक विशेष निकाय की स्थापना पर काम कर रही है।

### **राष्ट्रीय नदी इंटरलिकिंग प्राधिकरण के कार्य**

- यह पाइपलाइन में नदी को जोड़ने पर शीर्ष निकाय होगा।
- इसमें अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य दोनों परियोजनाओं को शामिल करने की उम्मीद है।
- यह आंतरिक और बाहरी रूप से धन अर्जित करने की व्यवस्था भी करेगा।

### **नदी इंटरलिकिंग के संदर्भ में जानकारी**

- इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है।
- यह अंतर-घाटी जल स्थानांतरण परियोजनाओं के माध्यम से पानी अधिशेष, जहां पानी अधिक है, से पानी की कमी, जहां सूखा/ पानी की कमी, वाले क्षेत्रों में पानी के स्थानांतरण की परिकल्पना करने में मदद करता है।
- राष्ट्रीय नदी इंटरलिकिंग परियोजना में विशाल दक्षिण एशियाई जल ग्रिड का निर्माण करने के लिए लगभग 3000 भंडारण बांधों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में 37 नदियों को जोड़ने के लिए 30 लिंक शामिल किए जाएंगे।
- इसमें दो घटक शामिल हैं:
  - हिमालयी नदियों विकास घटक
  - दक्षिणी जल ग्रिड

### **हिमालयी नदी विकास घटक**

- इस घटक का उद्देश्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ ही भारत और नेपाल में उनकी सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण करना है।
- इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए मानसून प्रवाह का संरक्षण करना है।
- यह लिकेज कोसी, गंडक और घाघरा के अधिशेष प्रवाह को पश्चिम में स्थानांतरित करेगा।
- गंगा और यमुना के बीच एक लिंक द्वारा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अधिशेष जल को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है।

### **दक्षिणी जल ग्रिड**

- इसमें 16 लिंक शामिल हैं, जो दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हैं।
- इसमें कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदियों को पोषित करने के लिए महानदी और गोदावरी नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
- इस लिकेज के लिए कई बड़े बांधों और प्रमुख नहरों के निर्माण की आवश्यकता होगी।
- इसके अतिरिक्त, केन नदी को बेतवा, पारबती, कालीसिंध और चंबल नदियों से भी जोड़ा जाएगा।

### **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के संदर्भ में जानकारी**

- यह जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी है।

- इसकी स्थापना जुलाई, 1982 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक और वास्तविक आधार पर जल संतुलन और अन्य अध्ययनों के संचालन हेतु स्थापित किया गया था।
- इसके अतिरिक्त इसे व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक को ठोस आकार देने का काम सौंपा गया था।
- इसे राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतरा-राज्य लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है।

#### नोट:

- केन-बेतवा नदी लिंक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो नदियों के बीच 231 किलोमीटर लंबी नहर को जोड़ता है।
- यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के माध्यम से संचालित हो रही है।

#### एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

- हाल ही में, कोविड-19 के प्रकोप के बाद, सरकार द्वारा छह मामलों की पुष्टि की गई है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय का एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) नेटवर्क, उन लोगों का पता लगाने के लिए कार्यरत है, जो उन छह लोगों के संपर्क में आए हैं जिनके नमूने पुष्टि के लिए भेजे गए हैं।

#### एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.)

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) की शुरुआत वर्ष 2004 में विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य संक्रामक रोगों के लिए रोग निगरानी को मजबूत करना और प्रकोप पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है।
- निगरानी डेटा, तीन निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रारूपों पर एकत्र किया गया है, जिनके नाम क्रमशः "S" (संदिग्ध मामले), और "P" (अनुमानित मामले) और "L" (प्रयोगशाला-पुष्टि मामले) हैं, ये डेटा स्वास्थ्य कर्मचारियों, चिकित्सकों और प्रयोगशाला कर्मचारियों द्वारा एकत्र किया जाता है।

#### उद्देश्य:

- बीमारी के रूझानों की निगरानी करने और प्रशिक्षित शीघ्र प्रतिक्रिया टीम के माध्यम से शुरुआती फैलाव के चरण में प्रकोपों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए महामारी-ग्रस्त रोगों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आई.टी. सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को सशक्त/ विनियमित करना है।

#### कार्यक्रम के घटक:

- केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से निगरानी गतिविधियों का एकीकरण और विकेंद्रीकरण करना
- डेटा के संग्रह, तुलना, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण करना
- जूनोटिक बीमारियों के लिए इंटरसेक्टरल समन्वय करना

#### सुखना झील, अधिकारों के साथ एक जीवित संस्था है: एच.सी.

- हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील को एक जीवित व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के साथ एक "जीवित संस्था" या "कानूनी व्यक्ति" घोषित किया है।

- इसने झील को विलुप्त होने से बचाने के लिए चंडीगढ़ के सभी नागरिकों को लोको पेरेंटिस (माता-पिता के स्थान) घोषित किया है।
- अदालत ने कहा है कि सुखना झील को उसके अस्तित्व, परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक कानूनी इकाई के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है।
- चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वह तीन महीने की अवधि के भीतर इसे आर्द्रभूमि घोषित करे।

#### पहले का फैसला

- इससे पहले वर्ष 2018 में, न्यायमूर्ति शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा में जानवरों को “कानूनी व्यक्ति या संस्था” का दर्जा प्रदान किया था।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति शर्मा वर्ष 2017 में एक पीठ का हिस्सा थे, जिसने गंगा और यमुना को जीवित संस्थाओं के रूप में घोषित किया था, इस फैसले पर बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी।

#### राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना कार्यक्रम

- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) योजना को लागू करने के संदर्भ में लिखित जवाब दिया है।

#### राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के संदर्भ में जानकारी

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) योजना शुरू की गई थी।
- डेयरी विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एन.पी.डी.डी. योजना डिज़ाइन की गई है।

#### योजना के उद्देश्य

- कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और विकास सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना और उसे सशक्त बनाना है, जो किसानों और उनके उपभोक्ताओं के बीच संपर्क को बढ़ाएगा
- दूध के उत्पादन, खरीद, विपणन और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और उसे मजबूत बनाना
- डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए उचित प्रशिक्षण अवसंरचना और सुविधाएं तैयार करना
- ग्रामीण स्तर पर डेयरी उत्पादक कंपनियों/ सहकारी समितियों को सशक्त बनाना
- खनिज मिश्रण और पशु चारा आदि जैसी सबसे आवश्यक तकनीकी इनपुट सेवाएं प्रदान करके दूध का उत्पादन बढ़ाना
- यह पुनर्वास क्षमता और व्यवहार्य दुग्ध संघों/ महासंघों की सहायता भी करता है

#### दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना

- सरकार ने बताया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 2018-19 और 2019-20 के दौरान लगभग 4.39 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

#### दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और वैश्विक रूप से प्रासंगिक कार्यबल में परिवर्तित करना है।

#### पात्रता



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)

- 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के ग्रामीण युवा
- 45 वर्ष तक के एस.सी./ एस.टी./ महिला/ पी.वी.टी.जी./ पी.डब्ल्यू.डी.

#### योजना की मुख्य विशेषताएं:

- यह प्लेसमेंट लिंकड कौशल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान करता है।
- ग्रामीण गरीबों को बिना किसी लागत के मांग नेतृत्व वाला कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल (एस.सी./एस.टी. 50%, अल्पसंख्यक 15%, महिलाएं 33%) करता है।
- जम्मू और कश्मीर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र और 27 लेफ्ट-विंग चरमपंथी जिलों में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

#### क्यू.एस. (क्वाककारेली साइमंड्स) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020

- क्वाककारेली साइमंड्स ने विषय द्वारा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 जारी की है।

#### मुख्य निष्कर्ष

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (44वें) और दिल्ली (47वें) दोनों को दुनिया के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों में रखा गया है।

#### सूची में बारह संस्थान

- कुल मिलाकर, इस श्रेणी में अकेले देश के 12 संस्थानों को शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है।
- प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में, तीन भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई है:
- 108वीं रैंक पर आई.आई.टी.- बॉम्बे
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर 111वें स्थान पर
- आई.आई.टी.-मद्रास 195वें स्थान पर
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 162 की वैश्विक रैंकिंग के साथ कला और मानविकी श्रेणी में देश का शीर्ष संस्थान बना हुआ है।
- दिल्ली विश्वविद्यालय ने 160 की वैश्विक रैंकिंग के साथ सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद 183वें स्थान पर आई.आई.टी.-दिल्ली है।
- लाइफ साइंसेज और मेडिसिन के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 200 में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है।
- देश में शीर्ष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, जिसकी वैश्विक रैंकिंग 231 थी।

#### भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के चौथे स्थापना दिवस को संबोधित किया है।

#### भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह 1 मार्च, 2012 को अस्तित्व में आया था।
- एल.पी.ए.आई. की स्थापना भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में कार्य करने हेतु एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
- यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जैसे समान निकायों की तर्ज पर शक्तियों के साथ निहित है।
- एल.पी.ए.आई. को भारत की भूमि सीमाओं पर सीमा पार से बेहतर प्रशासन और सामंजस्यपूर्ण प्रबंधन प्रदान करना अनिवार्य है।



### **सौर चरखा मिशन**

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने सौर चरखा मिशन में सब्सिडी के संदर्भ में लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर दिया है।

#### **सौर चरखा मिशन के संदर्भ में जानकारी**

- सौर चरखा मिशन, जून, 2018 के दौरान शुरू की गई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) मंत्रालय की पहल है।
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा।

#### **योजना के उद्देश्य**

##### **योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:**

- रोजगार के सृजन द्वारा विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के सृजन द्वारा समावेशी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा समूहों के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में मदद करना
- निर्वाह के लिए कम लागत, नवीन तकनीकों और प्रक्रियाओं का लाभ उठाना

#### **परियोजना कवरेज**

- यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की जाएगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.), जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में कम से कम 10% स्थिति के साथ देश भर में समूहों का भौगोलिक वितरण भी ध्यान में रखा जाएगा।
- योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों की मांग के लिए 117 आकांक्षात्मक जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

#### **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में जानकारी**

- यह भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- यह भारत के भीतर खादी एवं ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वोच्च संगठन है।
- यह चाहता है कि "ग्रामीण विकास में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास में योजना, संदर्भ, सुविधा, आयोजन और सहायता करना है
- के.वी.आई.सी., अपनी गतिविधियों के लिए आकस्मिक किसी भी अन्य मामलों को पूरा करने के अतिरिक्त किसी भी या उपर्युक्त सभी मामलों को पूरा करने के उद्देश्य से अलग-अलग संगठनों की स्थापना और रखरखाव के लिए अधिकृत है।

### **केंद्रीय अभिग्रहण संसाधन प्राधिकरण**

- हाल ही में, केंद्रीय अभिग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सी.ए.आर.ए.) ने सभी हितधारकों से अभिग्रहण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

#### **केंद्रीय अभिग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी**

- यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय भी है।
- यह देश में अभिग्रहण को बढ़ावा देगा और सुविधा प्रदान करेगा और देश के भीतर अभिग्रहण के लिए हेग सम्मेलन के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतर-देशीय अभिग्रहण को नियंत्रित करता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अनुसार, समय-समय पर अभिग्रहण से संबंधित मामलों में विनियमों को लागू करना अनिवार्य करता है।

### हेग अभिग्रहण सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- इसे अंतर्देशीय अभिग्रहण के सापेक्ष सहयोग और बच्चों के संरक्षण पर हेग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है।

### उद्देश्य:

- अवैध या गैर-तैयार अंतर-देशीय अभिग्रहण के खिलाफ बच्चों और उनके परिवारों की रक्षा करना
- यह बच्चों के अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोकना
- यह सम्मेलन न्यूनतम मानक स्थापित करता है लेकिन अभिग्रहण के एकसमान कानून के रूप में सेवा करने का इरादा नहीं रखता है।

### पृष्ठभूमि:

- निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन द्वारा सम्मेलन को विकसित किया गया था।
- यह सम्मेलन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुच्छेद 21 को प्रभावी करता है।

### सीमित देयता भागीदारी निपटान योजना

- केंद्र ने सीमित देयता साझेदारी निपटान योजना 2020 नामक एक नई योजना शुरू की है।
- यह योजना 16 मार्च, 2020 को लागू होगी और 13 जून, 2020 तक लागू रहेगी।

### सीमित देयता भागीदारी योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह गैर-आज्ञाकारी सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) फर्मों की सहायता करने में मदद करता है और ऐसी संस्थाओं के लिए कारोबार करने में आसानी प्रदान करता है।
- यह योजना डिफॉल्ट एल.एल.पी. को अतिरिक्त शुल्क में एक बार की छूट प्रदान करेगी जिससे कि लंबित दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति देकर उनके डिफॉल्ट को अच्छा बनाया जा सके और उन्हें भविष्य में एक योग्य एल.एल.पी. के रूप में काम करने में मदद मिल सके।
- यह दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए "डिफॉल्टिंग एल.एल.पी." पर लागू होगा, जो देरी की अवधि के लिए प्रति दिन 10 रूपए के मामूली अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 31 अक्टूबर, 2019 तक दाखिल करने के लिए उपलब्ध थे।

### केंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण शुरू किया है।

- केंद्रीय जल मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण- एस.बी.एम. (जी) चरण-II का शुभारंभ किया है।
- इसे मिशन मोड में 2020-2021 से 2024-2025 तक लागू किया जाएगा।

### स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के संदर्भ में जानकारी

- दूसरा चरण शौचालय पहुंच और उपयोग के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए लाभ को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पीछे न रहे।
- यह भी सुनिश्चित करेगा कि देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) स्थापित किया जाए।
- यह घरेलू शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से रोजगार पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना जारी रखेगा।

### स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संदर्भ में जानकारी

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) भारत प्राप्त करना है।

### उद्देश्य:



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)

- स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देने और खुले में शौच को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समुदायों को स्थायी स्वच्छता प्रथाओं और सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना
- पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली विकसित करना
- लिंग पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पैदा करना और विशेष रूप से सीमांत समुदायों में सुधार करके सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना

### **जम्मू और कश्मीर, 4 उत्तर-पूर्व राज्यों में परिसीमन के लिए पैनल**

- कानून मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग को अधिसूचित किया है।

### **न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई आयोग के संदर्भ में जानकारी**

- परिसीमन पैनल में तीन सदस्यीय आयोग होगा, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को आयोग में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।
- तीसरा सदस्य संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का चुनाव आयुक्त होगा।
- परिसीमन आयोग के एक वर्ष की समयसीमा में इस अभ्यास को पूरा करने की उम्मीद है।
- 2011 की जनगणना के आधार पर तत्कालीन राज्य के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा।

### **परिसीमन अधिनियम के संदर्भ में जानकारी**

- परिसीमन, लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य है, जो जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है और पिछली जनगणना के आधार पर किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है जो एक परिसीमन आयोग की स्थापना करता है।
- एकसमान जनसंख्या वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आयोग का मुख्य कार्य विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है।
- इससे पहले 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियमों के अंतर्गत चार बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं।

### **नोट:**

- 2002 में परिसीमन, जिसमें केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजन किया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में पूरा हो गया था।
- जब 2002 में इन राज्यों में यह कवायद शुरू हुई तो 2001 की जनगणना के उपयोग को गोवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष कई संगठनों ने चुनौती दी कि इसे दोषों से मुक्त किया गया है।

### **एक अभियुक्त के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।**

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि वकीलों के लिए अदालत में आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना अनैतिक और अवैध है।

### **संवैधानिक प्रावधान**



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)

- अनुच्छेद 22 (1) प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव के अधिकार से वंचित न रहे।
- अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 39A, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, यह कहता है कि न्याय को सुरक्षित करने के समान अवसर से किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण से इनकार नहीं किया जाना चाहिए और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।

#### **संकल्पों से संबंधित कुछ प्रमुख मामले, जो किसी अभियुक्त का बचाव नहीं करते हैं?**

- मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले के बाद, अजमल कसाब का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
- एक कानूनी सहायता वकील को वाद का संक्षिप्त विवरण सौंपा गया था लेकिन उसने मना कर दिया था, जबकि एक अन्य वकील जिसने कसाब का बचाव करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, उसे धमकियों का सामना करना पड़ा था।
- इसके बाद, एक वकील नियुक्त किया गया था और उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी।
- दिल्ली में 2012 के गैंगरेप के बाद, साकेत कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों का बचाव नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया था।

#### **मुख्य सूचना आयुक्त**

- हाल ही में, बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त (सी.आई.सी.) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- उनके शामिल होने के साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त सहित केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 7 हो गई है।

#### **चयन प्रक्रिया**

- नियमों के अनुसार, सी.आई.सी. और आई.सी. की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस समिति में निम्न शामिल होते हैं:
  - इसके प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री
  - लोकसभा में विपक्ष का नेता
  - प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

#### **नोट:**

- राष्ट्रपति ने केंद्रीय सूचना आयोग में सी.आई.सी. के रूप में जुल्का को पद की शपथ दिलाई है।

#### **भारत को हिंद महासागर आयोग में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है।**

- हाल ही में, भारत को हिंद महासागर आयोग में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है।
- अब तक, आई.ओ.सी. के चार पर्यवेक्षक- चीन, माल्टा, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ला फ्रैंकोफोनी (ओ.आई.एफ.) थे।

#### **हिंद महासागर आयोग के संदर्भ में जानकारी**

- हिंद महासागर आयोग, एक अंतरसरकारी संगठन है जो 1982 में पोर्ट लुइस, मॉरीशस में स्थापित किया गया था और 1984 में सेशेल्स में विक्टोरिया समझौते द्वारा संस्थागत किया गया था।
- सी.ओ.आई. पांच अफ्रीकी हिंद महासागर देशों से मिलकर बना है, जो कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन (फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र) और सेशेल्स हैं।
- इसका प्रमुख मिशन देशों के बीच मित्रता के संबंधों को मजबूत करना और अफ्रीकी हिंद महासागर क्षेत्र की पूरी आबादी के लिए एकजुटता का एक मंच बनना है।

- इस मिशन में क्षेत्र के लिए स्थायित्व से संबंधित परियोजनाओं के माध्यम से विकास करना भी शामिल है।

#### उद्देश्य

- सी.ओ.आई. चार स्तंभों पर काम करता है, जिन्हें 2005 में राज्यों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाया गया है:
  - राजनीतिक और राजनयिक सहयोग
  - आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग
  - वैश्वीकरण के संदर्भ में सतत विकास, कृषि, समुद्री मछली पकड़ने और संसाधनों और पारिस्थितिकी के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग
  - क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करना, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक और न्यायिक क्षेत्रों में सहयोग

#### भारत के लिए महत्व

- यह पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री शासन को संभालने वाले संगठन की मेज पर एक सीट पाने में मदद करेगा।
- यह 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण की गई भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति का गहनता से वर्णन करता है।
- इस कदम से पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ अधिक सुरक्षा सहयोग होगा।

#### जन औषधि दिवस

- हाल ही में, 7 मार्च, 2020 को जन औषधि दिवस मनाया गया है।
- जन औषधि दिवस का उद्देश्य जेनेटिक दवाओं के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना और जागरूकता पैदा करना है।

#### प्रधानमंत्री जन औषधि परि योजना

- यह प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि मेडिकल स्टोर्स के विशेष आउटलेट के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सभी के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परि योजना", भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा एक शुरू की गई एक बेहतरीन पहल है।
- इसे जनऔषधि केंद्र के माध्यम से चलाया जाएगा।
- सभी केंद्र स्थित हो सकते हैं और जनऔषधि सुगम नामक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से दवाओं की कीमतों की तुलना की जा सकती है।

**केंद्र एक सार्वजनिक कारण की सहायता हेतु एक संगठन को 'राजनीतिक' के रूप में ब्रांड नहीं कर सकता है:**

#### सर्वोच्च न्यायालय

##### पृष्ठभूमि:

- भारतीय सामाजिक कार्य मंच द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 2010 के कुछ निश्चित प्रावधानों और 2011 के विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों को चुनौती दी गई थी।
- इनमें से दोनों केंद्र को संगठनों को 'राजनीति' के लिए ब्रांड घोषित करने के लिए "अघोषित और अनियंत्रित शक्ति" प्रदान करते हैं और विदेशी धन तक उनकी पहुंच को बंद कर देते हैं।
- एफ.सी.आर.ए. 2010 ने राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग पर रोक लगा दी है।

- न्यायालय के समक्ष चुनौती के प्रावधानों में निम्न शामिल हैं:
  - एफ.सी.आर.ए. की धारा 5(1): इस प्रावधान ने केंद्र को यह तय करने की अनुमति दी है कि क्या यह प्रतीत होता है कि गैर-राजनीतिक संगठन वास्तव में प्रकृति में राजनीतिक था।
  - एफ.सी.आर.ए. की धारा 5(4): आई.एन.एस.ए.एफ. ने कहा है कि प्रावधान से पहले उस प्राधिकरण की पहचान नहीं की गई थी जिसके समक्ष कोई संगठन अपनी शिकायत का प्रतिनिधित्व कर सकता है लेकिन शीर्ष अदालत ने इस विवाद को खारिज कर दिया है।
  - आई.एन.एस.ए.एफ. ने 2011 के नियमों के नियम 3 के विभिन्न खंडों को भी चुनौती दी थी। इस प्रावधान ने विभिन्न प्रकार की 'राजनीतिक' गतिविधियों की पहचान की थी, जिनके लिए/संगठन की विदेशी फंडिंग को सरकार द्वारा रोका जा सकता था।

#### प्रमुख बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि कोई भी संगठन जो राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के बिना अपने अधिकारों के लिए आंदोलनरत नागरिकों के एक समूह के कारण का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।
- अदालत ने कहा है कि यदि विदेशी संगठनों ने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए विरोध के इन रूपों का सहारा लिया तो इनकी विदेशी वित्तपोषण आपूर्ति को रोका जा सकता है।
- इसने किसानों, श्रमिकों, छात्रों, जाति, समुदाय, धर्म, भाषा आदि पर आधारित संगठनों के मामलों में एक समान संतुलन कायम रखते हुए यह कहा है कि जब तक ये संगठन "सामाजिक और राजनीतिक कल्याण" के लिए काम करते हैं, तब तक उनका विदेशी वित्तपोषण जारी रह सकता है और आगे "राजनीतिक हितों" के लिए नहीं जारी नहीं रह सकता है।

#### सर्वोच्च न्यायालय आदेश के पीछे का औचित्य:

- सुनिश्चित करना कि प्रशासन विदेशी निधियों से प्रभावित नहीं है।
- सक्रिय राजनीति में शामिल होने वाले लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने पर रोक लगाना यह सुनिश्चित करना है कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्य सुरक्षित रहें।
- इसके अतिरिक्त, उन स्वैच्छिक संगठनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिनका पार्टी की राजनीति या सक्रिय राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उन्हें विदेशी योगदान से वंचित नहीं किया जा सकता है।

#### महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ: अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।

#### अल्पसंख्यक कौन हैं?

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एन.सी.एम. अधिनियम की धारा 2 (सी) के अनुसार, "अल्पसंख्यक" का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय है।
- अब तक, छह समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) और जैन को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

#### अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएँ हैं:

##### रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पहल

- सीखो और कमाओ - यह एक प्लेसमेंट लिंकड कौशल विकास कार्यक्रम है।

- **नई मंजिल-** औपचारिक स्कूली शिक्षा और स्कूल बीच में छोड़ने के कौशल के लिए एक योजना है।
- अल्पसंख्यक समुदायों (एम.ए.ई.एफ.) से संबंधित युवाओं को अल्पकालिक नौकरी उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण है
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.)**
  - यह स्व-रोजगार और आय पैदा करने वाले उपक्रमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

### अल्पसंख्यकों की पहल की जीवन स्थितियों में सुधार करना

#### प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

- यह एक क्षेत्र विकास योजना है।
- यह अल्पसंख्यक सांद्रता क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
- इस योजना का जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए कम से कम 80% संसाधनों का आवंटन करना है, जिसमें से 33-40% विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाने हैं।

#### हज बिना मेहराम:

- "मेहराम" (पुरुष साथी) के बिना हज के लिए जाने वाली मुस्लिम महिलाओं पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।

#### विस्टेम कार्यक्रम

- हाल ही में, भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के विस्टेम कार्यक्रम ने कई महिला वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय अनावरण प्रदान किया है।
- विस्टेम (WISTEMM) कार्यक्रम का पूरा नाम वूमन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन है।

#### अन्य संबंधित योजनाएं

##### किरन योजना

- पोषण योजना के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई कई अग्रणी पहलों में से एक है।
- यह योजना महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को कैरियर के विभिन्न अवसर प्रदान करती है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और विकास क्षेत्र में अधिक महिला प्रतिभाओं को शामिल करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना है।

#### महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम

- केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने बेंगलुरु में भारतीय प्रबंधन संस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लांच किया है।
- जिला कौशल विकास योजना तैयार करने के लिए जिला कौशल समितियों के लिए कुशल श्रमशक्ति प्रदान करने हेतु मंत्रालय के संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में फेलोशिप शुरू की गई है।

#### संकल्प कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- आजीविका संवर्धन परियोजना हेतु कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (SANKALP) का उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एन.एस.डी.एम.) के शासनादेश को लागू करना है।

- इसे 15 जुलाई को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपने मुख्य उप-मिशनो के माध्यम से लॉन्च किया गया था।
- इस परियोजना को विश्व बैंक सहायता के माध्यम से मिशन मोड में लागू किया जाएगा और इसे एन.एस.डी.एम. के समग्र उद्देश्यों के साथ संरेखित किया जाएगा।
- परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना शामिल है।
- संकल्प कार्यक्रम में चार उद्देश्य शामिल हैं:
  - बाजार-प्रासंगिक प्रशिक्षण की योजना, वितरण और निगरानी करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना
  - एस.डी. कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता
  - महिला प्रशिक्षुओं और अन्य वंचित समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण तक बेहतर पहुँच और प्रशिक्षण की पूर्णता
  - निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करना

### महुआ पोषक पेय पदार्थ

- भारत सरकार पहली बार बाजार में एक महुआ-आधारित मादक पेय लॉन्च करने के लिए तैयार है।

### महुआ पोषक पेय पदार्थ के संदर्भ में जानकारी

- इस पेय पदार्थ में उच्च पोषण मूल्य और अपेक्षाकृत कम अल्कोहल की मात्रा अर्थात् मात्र 5 प्रतिशत है।
- इसे आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) के सहयोग से दो वर्ष के शोध के बाद विकसित किया गया है।
- इसका विपणन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के वन धन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है।

### ट्राइफेड के संदर्भ में जानकारी

- ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) की स्थापना 1987 में हुई थी।
- ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से निर्मित किए गए या एकत्र किए गए उत्पादों की अच्छी कीमत प्रदान करना है।
- यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

### उद्देश्य

- जनजातियों द्वारा एकत्रित 'गैर-प्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) को उचित मूल्य प्रदान करना और उनकी आय के स्तर को बढ़ाना
- 'गैर-प्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) की सतत कटाई सुनिश्चित करना
- जनजातियों को व्यापारिक मध्यस्थों के शोषण से बचाना, जो सस्ती दर पर जनजातियों के उत्पादों को खरीदते हैं और अधिक दामों पर बेचते हैं।

### महुआ के संदर्भ में जानकारी

- महुआ (मधुका इंडिका), एक भारतीय उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो मुख्य रूप से मध्य और उत्तर भारतीय मैदानों और जंगलों में पाया जाता है।
- यह शुष्क वातावरण के लिए अनुकूल है। यह भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती जंगलों का एक प्रमुख वृक्ष है।



- महुआ के फूल, शर्करा का एक समृद्ध स्रोत है और कहा जाता है कि इसमें विटामिन, खनिज और कैल्शियम होता है।

### **संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों पर राजनीतिक घोषणापत्र को अपनाया है।**

महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 64वें सत्र में महिलाओं के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र ने एक छीन लिए गए राजनीतिक घोषणापत्र को अपनाया है। यह घोषणापत्र खतरे के अंतर्गत लाभ को संरक्षित करने का प्रयास करत है लेकिन लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों की वकालत नहीं करती है।

- यह घोषणापत्र, 1995 के बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की मुख्य बातों का अनुसरण करता है, जो दुनिया भर में महिलाओं की स्वतंत्रता और उन्नति को बढ़ावा देने की मांग करती है।
- यह सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति के लिए लैंगिक समानता के महत्व को रेखांकित करता है।

### **बीजिंग घोषणापत्र के संदर्भ में जानकारी**

बीजिंग घोषणापत्र, 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक संकल्प था।

- यह महिला और स्वास्थ्य, सत्ता और निर्णय निर्माण में महिलाएं, बच्चियां, महिलाएं और पर्यावरण जैसे चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति और लिंग समानता के लिए रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित करता है।

### **महिलाओं की स्थिति पर आयोग के संदर्भ में जानकारी**

- महिलाओं की स्थिति पर आयोग की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के एक कार्यात्मक आयोग के रूप में की गई थी।
- यह मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु समर्पित है।

### **2020: लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर वर्ष**

#### **बीजिंग सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ के अतिरिक्त वर्ष की विशेषताएं हैं:**

- महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 64वां सत्र
- मई में मेक्सिको में और जुलाई में फ्रांस में पीढ़ी समानता फोरम
- सितंबर में लैंगिक समानता पर 75वीं महासभा की उच्च स्तरीय बैठक
- अक्टूबर में महिला, शांति और सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1325 की 13वीं वर्षगांठ
- सतत विकास लक्ष्य, पांच वर्षीय मील का पत्थर है
- संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की 10वीं वर्षगांठ

**नोट:** महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र को प्रत्येक पांच वर्ष में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

### **पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना**

- रक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के बारे में एक लिखित उत्तर दिया है।

### **भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में जानकारी**

- यह 2003 में शुरू की गई रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को ई.सी.एच.एस. पॉलीक्लिनिक्स, सेवा चिकित्सा सुविधाओं और नागरिक पैनाल/ सरकारी अस्पताल, आयुष अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा प्रदान करना है।

- यह योजना रोगियों के लिए कैशलेस लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर संरचित है और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- इसे सशस्त्र बलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जिससे कि प्रशासनिक व्यय को कम किया जा सके।
- ई.सी.एच.एस. का केंद्रीय संगठन दिल्ली में स्थित है और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह योजना उन सभी ई.एस.एम. पेंशनरों की चिकित्सा देखभाल पूरी करती है, जिनमें विकलांग और पारिवारिक पेंशन पाने वाले और उनके आश्रित शामिल हैं, जिसमें पत्नी/ पति, आश्रित वैध बच्चे और पूर्णतया आश्रित माता-पिता शामिल हैं।

### **महामारी रोग अधिनियम 1897**

- हाल ही में, कैबिनेट सचिव द्वारा आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी जानी चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह लागू हो।

### **महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में जानकारी**

- महामारी रोग अधिनियम 1897, मुंबई में आने वाले बुबोनिक प्लेग के प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया थी।

### **महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधान:**

- अधिनियम का लक्ष्य "खतरनाक महामारी बीमारी के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए प्रावधान प्रदान करना" है, जिसमें चार खंड शामिल हैं।

### **अधिनियम की धारा**

- धारा 2: यह राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और प्रकोप से निपटने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- अधिनियम की धारा 2 ए, केंद्र सरकार को महामारी को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने का अधिकार प्रदान करती है।
- धारा 3: यह अधिनियम के अंतर्गत किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंड का प्रावधान प्रदान करता है।
- ये भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार (लोक सेवकों द्वारा विधिवत प्रवर्तित आदेश का उल्लंघन करना) हैं।
- धारा 4: यह अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्यान्वयन अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

### **कार्यान्वयन के उदाहरण:**

- 2018 में, 31 व्यक्तियों द्वारा बीमारी के लक्षणों की शिकायत करने के बाद गुजरात के वड़ोदरा के जिला कलेक्टर ने अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करके वाघोडिया तालुका में खेड़करमसिया गाँव को हैजा-प्रभावित घोषित किया था।
- 2015 में, चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए अधिनियम लागू किया गया था और नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे उल्लंघन करने वालों को 500 रुपये के नोटिस और चालान जारी करना सुनिश्चित करें।

- 2009 में, पुणे में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से निपटने के लिए पूरे शहर में नागरिक अस्पतालों में स्क्रीनिंग केंद्र खोलने के लिए धारा 2 की शक्तियों का उपयोग किया गया था और स्वाइन फ्लू को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया गया था।

#### अन्य देशों में प्रचलित कानून:

##### इंग्लैंड

- इंग्लैंड में, सार्वजनिक स्वास्थ्य (रोग पर नियंत्रण) अधिनियम, 1984 को संक्रामक रोगों से निपटने के लिए विभिन्न अधिकारियों की विशिष्ट निरूपित भूमिकाएं बनाने के उद्देश्य से घोषित किया गया था।
- यह अधिनियम संक्रामक रोग की अधिसूचना के लिए प्रावधान प्रदान करता है, संक्रामक व्यक्तियों की पहचान करने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों और एक स्पष्ट श्रेणीबद्ध श्रृंखला है, जिसमें उक्त पहचान रिपोर्ट की गई हैं।

##### अमेरिका

- संयुक्त राज्य अमेरिका से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम है, जो अपने अंग्रेजी समकक्ष को भी पसंद करता है, एक प्रशासनिक सुपर संरचना का गठन करता है जिसके माध्यम से किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को संचालित किया जाना चाहिए।
- अधिनियम शॉर्ट नोटिस पर कमीशन सिपाहियों के पूरक के लिए आरक्षित वाहिनी बनाकर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाकर एक राष्ट्रव्यापी महामारी की तैयारी करता है।

#### राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र

- केंद्रीय गृहमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 35वें स्थापना दिवस पर एक राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है।

#### राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र का अर्थ पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अभियोजकों और अन्य हितधारकों के लिए बड़े पैमाने पर साइबर अपराध जांच पर पेशेवर गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सेवाएं हैं।
- यह प्रणाली सी.सी.टी.एन.एस. के राष्ट्रीय डेटाबेस के आधार पर बरामद और चोरी हुए वाहनों के मिलान पर भी अलर्ट जारी करेगा।

#### राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जो भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने हेतु जिम्मेदार है।
- एन.सी.आर.बी. का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है।

#### कोविड आपातकालीन कोष

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने सार्क देशों से स्वैच्छिक योगदान के आधार पर एक कोविड 19 आपातकालीन कोष के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

#### कोविड 19 के लिए भारत की प्रतिक्रिया

- भारत, परीक्षण किट और अन्य उपकरणों के साथ डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर रहा है।
- भारत ने संभव वायरस वाहकों और उनसे संपर्क करने वाले लोगों का बेहतर ढंग से पता लगाने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी पोर्टल की स्थापना की है।
- इस रोग निगरानी सॉफ्टवेयर को सार्क भागीदारों के साथ साझा किया जा सकता है।

#### दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के संदर्भ में जानकारी

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका में सार्क घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- अफगानिस्तान, वर्ष 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का नया सदस्य बना था।
- संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है।

#### सार्क के सदस्य

- इसमें आठ सदस्य देश: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
- वर्तमान में सार्क के नौ पर्यवेक्षक अर्थात्: ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरीशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

#### राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

- हाल ही में, केंद्र ने कहा है कि वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नोवेल कोरोनावायरस के प्रकोप का एक अधिसूचित आपदा के रूप में सामना करेगा।
- गृह मंत्रालय ने कहा है कि आवश्यक उपकरणों की खरीद के मामले में खर्च केवल एस.डी.आर.एफ. से किया जाएगा न कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, एन.डी.आर.एफ. से किया जाएगा।
- उपकरणों पर किया जाने वाला कुल खर्च एस.डी.आर.एफ. के वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

#### राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के संदर्भ में जानकारी

- इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1)(ए) के अंतर्गत गठित किया गया है, यह अधिसूचित आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया हेतु राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
- केंद्र सरकार, सामान्य श्रेणी के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एस.डी.आर.एफ. आवंटन में 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर-पूर्व राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90% का योगदान देती है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किस्तों में जारी किया जाता है।
- एस.डी.आर.एफ. का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

#### एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत शामिल आपदाएं

- चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, तुषार और शीत लहरें हैं।

#### स्थानीय आपदा के दौरान

- राज्य सरकार, उन प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध धन के 10 प्रतिशत तक का उपयोग कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं।
- ये राज्य सरकार द्वारा राज्य विशेष प्राकृतिक आपदाओं को सूचीबद्ध करने और स्पष्ट अधिसूचित करने की स्थिति के अधीन गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।
- राज्य प्राधिकरण अर्थात् राज्य कार्यकारी प्राधिकरण (एस.ई.सी.) की मंजूरी के साथ ऐसी आपदाओं के लिए पारदर्शी मानदंड और दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

#### राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के संदर्भ में जानकारी

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में एक राज्य के एस.डी.आर.एफ. की आपूर्ति करता है, बशर्ते कि एस.डी.आर.एफ. में पर्याप्त धन उपलब्ध न हो।

### **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश, 2020**

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल आनंदीबेन पाटिल द्वारा प्रवर्तित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश, 2020 को अधिसूचित किया है।

#### **अध्यादेश के संदर्भ में जानकारी**

- विरोध और दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से मुआवजा वसूलने हेतु एक नया सख्त कानून है।
- किसी भी निजी संपत्ति का मालिक या सार्वजनिक संपत्ति के सापेक्ष संबंधित कार्यालय का प्रमुख किसी भी ऐसी घटना के तीन महीने के भीतर मुआवजे के लिए दावा दायर कर सकता है, जो सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों, बंद या दंगों के दौरान किसी भी नुकसान का कारण बनती है।
- मुआवजे के लिए दावा नामित दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसे शिकायतों की जांच करने और क्षति का आकलन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- दावा अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या पुरस्कार "अंतिम" होगा और किसी भी अदालत के समक्ष कोई अपील "संधार्य" नहीं होगी।
- इसके अतिरिक्त, किसी भी नागरिक अदालत के पास दावों के संबंध में किसी भी प्रश्न पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

#### **दावा अधिकरण की संरचना**

- दावा अधिकरण के अध्यक्ष, एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होंगे।
- इसके सदस्य अतिरिक्त आयुक्त के पद के होंगे।
- इसके पास प्रावादी प्रत्यर्थी की संपत्ति को संलग्न करने और संपत्ति खरीदने के खिलाफ जनता को चेतावनी देने के लिए उनके नाम, पते और तस्वीरों को सार्वजनिक करने की शक्ति होगी।
- अधिकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

#### **दावा अधिकरण का क्षेत्राधिकार**

- दावा अधिकरण के पास शपथ पर साक्ष्य लेने और गवाहों की उपस्थिति को लागू करने और दस्तावेजों और सामग्री वस्तुओं की खोज और उत्पादन को मजबूर करने के उद्देश्य से एक नागरिक अदालत की सभी शक्तियां होंगी।
- अधिकरण के पास यह भी अधिकार है कि वह नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक दावा आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है और जांच कराने में मदद करने के लिए देयता की जांच कर सकता है।

### **रामपुर राज्य**

- सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले नागरिक विवाद को समाप्त कर दिया था और विरासत के मूल्यांकन की प्रक्रिया वर्तमान में नवाब राजा अली खान की संपत्ति और विरासत पर विवादास्पद है।

#### **रामपुर राज्य के संदर्भ में जानकारी**

- रामपुर राज्य की स्थापना उत्तर भारत में रोहिल्ला के प्रमुख सरदार दाउद खान के दत्तक पुत्र नवाब अली मुहम्मद खान द्वारा की गई थी।
- 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद रोहिल्ला भारत में प्रवेश करने वाले अफगान थे और उन्होंने रोहिलखंड को अपने नियंत्रण में ले लिया था, उस समय इसे केतहर के नाम से जाना जाता था।

### स्वतंत्रता के बाद

- नवाब राजा अली के अधीन रामपुर, 1949 में भारत में प्रवेश करने वाला पहला राज्य था, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिला बन गया है।

### कला, संस्कृति के संरक्षक

- रामपुर राजघरानों ने गंगा-यमुना क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उन्होंने रामपुर में आमिर राजा पुस्तकालय का संचालन किया है, जिसे कभी नवाब के आधिकारिक दरबार के रूप में जाना जाता था, जो अरबी, उर्दू, फारसी और तुर्की में लगभग 15,000 पांडुलिपियों के साथ ही सातवीं शताब्दी की कुरान का घर है।
- पुस्तकालय में वाल्मीकि की रामायण का अत्यंत दुर्लभ फारसी अनुवाद संस्करण भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सम्राट औरंगजेब की निजी प्रति थी।

**नोट:** भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, रामपुर जिला, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिला है, जो रामपुर की आबादी का 50.57% है।

### राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना

- हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना के बारे में लिखित उत्तर दिया है।

### राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना को पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना के रूप में नामित किया गया था, इसे 1.1.2017 से प्रभावी रूप से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।
- यह कामकाजी माताओं के बच्चों (6 महीने से 6 साल के आयु वर्ग) को डे केयर सुविधाएं प्रदान करता है।

### राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- नौद की सुविधा सहित डेकेयर सुविधाएं
- 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा
- पूरक पोषण (स्थानीय रूप से स्रोत)
- विकास की निगरानी
- स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण

### अपराध बहु एजेंसी केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र

- केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री ने अपराध बहु एजेंसी केंद्र (Cri-MAC) और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCTC) लॉन्च किया है।

### अपराध बहु एजेंसी केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- अपराध बहु एजेंसी केंद्र (Cri-MAC) का उद्देश्य जघन्य अपराध और अंतर-राज्य समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों पर जानकारी साझा करना है।

### राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एन.सी.टी.सी.), साइबर अपराध की जांच के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अभियोजकों और अन्य हितधारकों के लिए पेशेवर गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सेवाओं का माध्यम है।

### आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955


- केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ई.सी. अधिनियम) के अंतर्गत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को शामिल किया है।
- इससे यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उत्पाद लोगों को सही कीमत पर और सही गुणवत्ता पर उपलब्ध हैं।

### आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के संदर्भ में जानकारी

- इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निर्माताओं से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कह सकते हैं जिससे कि ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हों।
- अधिनियम के अंतर्गत, उल्लंघन करने वाले को सात वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

### झुंड रोग प्रतिरोधक क्षमता

- जैसा कि पिछले हफ्ते यूरोप को नॉवेल कोरोनावायरस प्रकोप का एपिसेंटर घोषित किया गया था, ब्रिटेन ने स्थिति से निपटने के लिए एक अलग रणनीति झुंड रोग प्रतिरोधक क्षमता की घोषणा की है।



### झुंड रोग प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में जानकारी

- इसे सामुदायिक रोग प्रतिरोधक क्षमता या झुंड संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है।
- झुंड रोग प्रतिरोधक क्षमता तब होती है जब बड़ी संख्या में लोगों को किसी बीमारी का टीका लगाया जाता है, जिससे दूसरों के संक्रमित होने की संभावना कम हो जाती है।
- यह कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की रणनीति है अर्थात वायरस को पूरी आबादी से गुजरने की अनुमति देना जिससे कि हम झुंड रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सकें।
- जब आबादी के पर्याप्त प्रतिशत का टीकाकरण किया जाता है तो यह बीमारी के प्रसार को धीमा करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) व्याख्या करता है कि गैर-टीकाकरणों का झुंड प्रतिरक्षण तब होता है जब समूह का पर्याप्त हिस्सा प्रतिरक्षित होता है।

### प्रभाव

- रोग की घटनाओं में गिरावट, टीकाकरण किए जाने वाले व्यक्तियों के अनुपात से अधिक है क्योंकि टीकाकरण, टीके द्वारा रोगजनकों की मात्रा/ अथवा अवधि को कम करके संक्रामक एजेंट के प्रसार को कम करता है और संचरण को रोकता है।"

### **मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है।**

- हाल ही में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य सरकार को बहुमत साबित करने की अनुमति देने के लिए राज्य विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है।

#### **फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में जानकारी**

- फ्लोर टेस्ट मुख्य रूप से यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या कार्यकारिणी को विधायिका का विश्वास प्राप्त है।
- यह एक संवैधानिक तंत्र है जिसके अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक मुख्यमंत्री को राज्य की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है।
- संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- जब कोई भी पार्टी सदन में बहुमत प्राप्त करती है तो राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- अगर बहुमत पर सवाल उठाया जाता है तो बहुमत का दावा करने वाली पार्टी के नेता को विश्वास मत हासिल करना होगा और उपस्थित और मतदान करने वालों के बीच बहुमत साबित करना होगा।
- यदि मुख्यमंत्री सदन में अपना बहुमत साबित करने में विफल रहता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा।
- यह संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में होता है।
- अन्य स्थितियों में, जब गठबंधन सरकार के भीतर मतभेद होते हैं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं।

#### **समग्र फ्लोर टेस्ट**

- यह टेस्ट केवल तभी आयोजित किया जाता है जब एक से अधिक लोग सरकार बनाने का दावा करते हैं।
- जब बहुमत स्पष्ट नहीं होता है, तो राज्यपाल यह देखने के लिए विशेष सत्र के लिए बुला सकता है कि बहुमत किसके पास है।
- बहुमत को वर्तमान में उपस्थित सदस्यों और मतदान के आधार पर गिना जाता है। यह वॉयस वोट के माध्यम से भी किया जा सकता है, जहां सदस्य मौखिक रूप से या डिवीजन वोटिंग के माध्यम से जवाब दे सकता है।
- कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं।
- डिवीजन वोट में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, मतपत्र या पर्ची के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।
- जिस व्यक्ति के पास बहुमत होता है, वह सरकार बनाता है।
- टाई के मामले में, स्पीकर अपना वोट भी डाल सकता है।

**नोट:** जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल जल्द से जल्द बहुमत साबित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करके मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चयन करता है।

### **मिशन सौर चरखा**

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) ने देश भर में 50 सौर चरखा समूहों के कार्यान्वयन के लिए 2018-19 में मिशन सौर चरखा लॉन्च किया है।

#### **उद्देश्य:**



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)



- रोजगार का पुनः नियोजन करके, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए समावेशी प्रगति सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा समूहों के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को रोकने में मदद करना
- पदार्थ के लिए कम लागत, नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का लाभ उठाना

#### परियोजना कवरेज

- इसका लक्ष्य पूरे देश में 50 सौर समूहों को शामिल करने का है, जिससे लगभग 1,00,000 कारीगरों/लाभार्थियों को विभिन्न योजना घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाना है।
- यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की जाएगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.), जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में स्थित कम से कम 10% के साथ पूरे देश में समूहों का भौगोलिक वितरण भी ध्यान में रखा जाएगा।
- योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों की मांग के लिए 117 आकांक्षात्मक जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

#### वर्तमान स्थिति

- अब तक, मिशन सौर चरखा के अंतर्गत 10 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।
- आंध्र प्रदेश में एक सौर चरखा समूह की पहचान की गई है।
- यह योजना लगभग एक लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने की परिकल्पना करती है।

#### परियोजना हस्तक्षेप

सौर चरखा के एक समूह में 9.599 करोड़ रूपए की अधिकतम सब्सिडी शामिल होगी। योजना में तीन प्रकार के परियोजना हस्तक्षेप शामिल होंगे:

- (i) व्यक्तिगत और विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के लिए पूंजी सब्सिडी
- (ii) कार्यरत पूंजी के लिए ब्याज आर्थिक सहायता: बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा छह महीने की अवधि के लिए ली जाने वाली ब्याज दरों के निरपेक्ष कार्यरत पूंजी के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का 8% रखना प्रस्तावित है।
- (iii) क्षमता निर्माण

#### महिलाओं हेतु सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.)

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने महिलाओं हेतु सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) के संदर्भ में लोकसभा को जानकारी प्रदान की है।

#### संबंधित जानकारी

- उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.), राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) से अधिक है।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा 2018-19 सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाएं उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 48.6% हैं और उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.4% है जो कि लड़कों के 26.3 प्रतिशत के राष्ट्रीय जी.ई.आर से अधिक है।
- लिंग समानता सूचकांक (जी.पी.आई.), पिछले 5 वर्षों के दौरान 2014-15 में 0.92 से बढ़कर 2018-19 में 1 हो गया है।
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा 2018-19 सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एच.ई.) के अनुसार, भारत में 39931 कॉलेज हैं, जिनमें से 60.53% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
- इसके अतिरिक्त, अधिकांश कॉलेज पुरुषों और महिलाओं दोनों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं और 11.04% कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

## उन्नत भारत अभियान

### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में 'उन्नत भारत अभियान' के बारे में जानकारी प्रदान की है।

### अभियान का उद्देश्य

- महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 'ग्राम स्वराज' की धारणा के अनुरूप देश के व्यावसायिक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्व-पर्याप्त और सतत ग्राम समूहों के स्वदेशी विकास की प्रक्रिया में शामिल करना है। इसका उद्देश्य समाज और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच एक जीवंत संबंध बनाना है।



### उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में जानकारी

- यह ग्रामीण भारत को समृद्ध करने के इरादे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) द्वारा वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था और इसके उन्नत संस्करण उन्नत भारत अभियान 2.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- आई.आई.टी. दिल्ली को इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया है।
- मंत्रालय ने सभी प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों तक चरणबद्ध तरीके से इसके कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- प्रत्येक चयनित संस्थान गांवों/ पंचायतों के समूह को अपनाएगा और एक समयावधि पर धीरे-धीरे आउटरीच का विस्तार करेगा।

### समाज में इसके क्या प्रभाव होने की उम्मीद है?

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने और समान हेतु स्थायी समाधान खोजने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के संकाय और छात्रों को संलग्न करना
- मौजूदा नवीन प्रौद्योगिकियों को पहचानना और उनका चयन करना, लोगों के लिए आवश्यकतानुसार नवीन समाधानों के लिए प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम करना या कार्यान्वयन पद्धति को विकसित करना
- एच.ई.आई. को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए विकासशील प्रणालियों में योगदान करने की अनुमति देना

### उन्नत भारत अभियान 2.0 के संदर्भ में जानकारी

- यह उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है।
- यह योजना सभी शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित है, हालांकि उन्नत भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत कुछ निश्चित मानदंडों की पूर्ति के आधार पर प्रतिभागी संस्थानों का चयन किया जाता है।

### **आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग**

#### **खबरों में क्यों है?**

- राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने राज्यसभा में आधुनिक गर्भ निरोधकों के उपयोग के बारे में बताया है।

#### **जी.ओ.आई. उपाय**

इस संबंध में, आधुनिक गर्भ निरोधकों की उपलब्धता, जागरूकता और उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:

#### **(i) मिशन परिवार विकास**

- सरकार ने कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 3 के साथ 146 उच्च प्रजनन जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक महत्वपूर्ण रूप से पहुंच बढ़ाने के लिए 10 नवंबर, 2016 को मिशन परिवार विकास लॉन्च किया था।

#### **(ii) नए गर्भनिरोधक विकल्प**

- नए गर्भनिरोधक अर्थात् 2015-16 में विकल्पों की मौजूदा टोकरी में इंजेक्टबल गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) और सेंट्रोमेन (छाया) जोड़े गए हैं।
- डिलीवरी के तुरंत बाद आई.यू.सी.डी. प्रविष्टि की एक नई विधि अर्थात् पोस्ट-पार्टम आई.यू.सी.डी. (पी.पी.आई.यू.सी.डी.) को वर्ष 2010 में पेश किया गया था।
- गर्भावस्था के बाद परिवार नियोजन सेवाओं पर जोर दिया गया है, जिसमें पोस्ट-पार्टम और गर्भपात के बाद गर्भनिरोधक को बढ़ावा देना शामिल है।
- **पुनः डिज़ाइन की गई गर्भनिरोधक पैकेजिंग:** इन वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 से कंडोम, ओ.सी.पी. और ई.सी.पी. की पैकेजिंग में सुधार किया गया है और इन्हें पुनः डिज़ाइन किया गया है।
- **परिवार नियोजन तार्किक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एफ.पी.-एल.एम.आई.एस.):** यह 2017 में लॉन्च किया गया एक समर्पित सॉफ्टवेयर है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं के सुचारू रूप से पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करता है।

#### **राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के संदर्भ में जानकारी**

- इस योजना में ग्राहकों का नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति में बीमा किया जाता है।
- यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी और एक बीमा कंपनी के माध्यम से लागू की गई थी।
- इसे वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था और अब इसे राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एन.एच.एम. वित्तपोषण से संचालित किया जा रहा है।

#### **नैदानिक आउटरीच टीम (सी.ओ.टी.) योजना के संदर्भ में जानकारी**

- यह योजना दिसंबर, 2017 से 146 मिशन परिवार जिलों में शुरू की गई है जिससे कि दूर-दराज, गैर-सरकारी और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त संगठनों से मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जा सकें।

**पूर्व सी.जे.आई. रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है।**

- हाल ही में, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- गोगोई ने पांच न्यायाधीशों वाली पीठ का नेतृत्व किया है, जिसने पिछले वर्ष 9 नवंबर को संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला दिया था।
- जस्टिस गोगोई, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे।



**संवैधानिक प्रावधान**

- संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।
- नामांकित सदस्य सामान्यतः साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होते हैं।

**नामांकित सदस्य कौन हैं?**

- नामांकित सदस्य सामान्यतः साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होते हैं।
- राज्यसभा की लगभग 1/5 सीटें खाली पड़ रही हैं और उनके लिए चुनाव 26 मार्च, 2020 को होगा।

**प्रीमियम सब्सिडी साझाकरण प्रारूप**

**खबरों में क्यों है?**

- कृषि मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि केंद्र और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच प्रीमियम सब्सिडी साझाकरण प्रारूप को 50:50 से 90:10 में बदल दिया गया है।

**यह कैसे असर करेगा?**

- यह योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को शामिल करने हेतु अधिक राज्यों को योजना अधिसूचित करने की अनुमति देगा और मौजूदा राज्यों को अधिक फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करने की अनुमति देगा।
- शेष राज्यों के लिए, सब्सिडी साझाकरण प्रारूप 50:50 के रूप में जारी रहेगा।
- इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों को अब राज्यों द्वारा एक वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा, जिससे किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जवाबदेही बढ़ेगी।

## विनियमन विधेयक

### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, लोकसभा ने **विनियमन विधेयक 2020-21** पारित किया है। यह सरकार को अपने काम करने के साथ ही अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत के समेकित कोष से **110 लाख करोड़** निकालने में सक्षम बनाएगा।

### विनियमन विधेयक के संदर्भ में जानकारी

- यह एक धन विधेयक है, जो सरकार को वित्त वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के समेकित कोष से धन निकालने की अनुमति देता है।
- संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही समेकित निधि से धन निकाल सकती है।

### विनियमन विधेयक का पारित होना

- सरकार ने बजट प्रस्तावों और अनुदानों की माँग पर चर्चा के बाद संसद के निचले सदन में विनियमन विधेयक पेश किया है।
- विनियमन विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और फिर राज्यसभा में भेजा जाता है।
- राज्यसभा के पास इस विधेयक में किसी भी संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति है।
- हालांकि, यह संसद के ऊपरी सदन द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए लोकसभा का विशेषाधिकार है।
- विनियमन विधेयक की अनूठी विशेषता इसका स्वचालित निरसन खंड है, जिससे यह अधिनियम अपने संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के बाद अपने आप निरस्त हो जाता है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य विधानसभाओं को अपने संबंधित बजट अभ्यासों के एक भाग के रूप में विनियमन विधेयकों को भी पारित करना है, जिससे कि भारत के समेकित कोष से धन निकालने में सक्षम बनाया जा सके।
- चूंकि भारत ने संसदीय लोकतंत्र की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली की सदस्यता ली है, संसदीय मत में विनियमन विधेयक (और वित्त विधेयक) की हार के लिए भी सरकार या आम चुनाव के इस्तीफे की आवश्यकता होगी।

**नोट:** वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण पर प्रावधान हैं, और विनियमन विधेयक में धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट किया गया है।

## भिखारियों के व्यापक पुनर्वास हेतु योजना

### खबरों में क्यों है?

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने **भिखारियों के व्यापक पुनर्वास हेतु योजना**, नामक योजना के पुनर्गठन और निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए एक व्यापक योजना होगी।

### योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के समर्थन से पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास को कवर करेगी।
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भिखारी समुदाय की अधिक संख्या वाले चयनित शहरों में लागू की जाएगी।

## नकली मुद्रा

### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने नकली नोटों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल के संदर्भ में लोकसभा को सूचित किया है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार, 2017, 2018 और 2019 के दौरान जब्त किए गए नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफ.आई.सी.एन.) में गिरावट का रुझान देखा गया है।



### ये पहल हैं:

#### (i) एफ.आई.सी.एन. समन्वय समूह

- इसका गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- इसका उद्देश्य नकली मुद्रा मामलों के प्रचलन की समस्या का मुकाबला करने के लिए राज्य/ केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी/ सूचना साझा करना है।

#### (ii) आतंकी वित्तपोषण एवं नकली मुद्रा सेल

- आतंकी वित्तपोषण एवं नकली मुद्रा के मामलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) में एक आतंकी वित्तपोषण एवं नकली मुद्रा सेल (टी.एफ.एफ.सी.) का गठन किया गया है।
- नकली नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने और इसका मुकाबला करने हेतु भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता जापन (एम.ओ.यू.) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

## ओ.बी.सी. के उप-वर्गीकरण हेतु आयोग

### खबरों में क्यों है?

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने राज्यसभा में ओ.बी.सी. के उप-वर्गीकरण हेतु आयोग के संदर्भ में सूचित किया है। सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दों की जांच करने के लिए आयोग के नवीनतम विस्तार को छह महीने तक 31 जुलाई, 2020 तक अधिसूचित किया है।

### उद्देश्य

- इस आदेश का उद्देश्य ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना है।

### ओबीसी के उप-वर्गीकरण हेतु आयोग के संदर्भ में जानकारी

- अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण के मुद्दों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2017 को अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण का परीक्षण करने हेतु समिति का गठन किया गया है।
- समिति का गठन न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता किया गया है।

### समिति के कार्य:



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना।
- ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, योग्यता, मापदंड और मानदंडों को पूरा करने के लिए काम करना तथा
- अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थियों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद करना
- ओ.बी.सी. का उप-वर्गीकरण, लाभ के लिए अधिक पहुंच सुनिश्चित कर सकता है जैसे कि कम प्रभावी ओ.बी.सी. के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण

### जम्मू और कश्मीर हेतु स्वास्थ्य योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए 'जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य योजना' शुरू करने की घोषणा की है।



जम्मू और कश्मीर हेतु स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना मुफ्त में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी।
- यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को शामिल करेगी।
- लाभार्थी फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर के हकदार होंगे।
- इस योजना में परिवार के आकार, आयु या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- पहले से मौजूद सभी बीमारियों को भी शामिल किया जाएगा।


### संविधान से 'समाजवाद' शब्द हटाने का प्रस्ताव

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राज्यसभा के एक सदस्य, राकेश सिन्हा ने सभापति को सदन में एक प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए नोटिस जारी किया है। प्रस्ताव में संविधान की प्रस्तावना से "समाजवाद" शब्द को हटाने की मांग की गई है।

प्रस्ताव किस संदर्भ में है?

- प्रस्ताव का उद्देश्य 'समाजवाद' शब्द को हटाना है क्योंकि सदस्यों ने पाया है कि यह वर्तमान परिदृश्य में निरर्थक है।
- वह 'समाजवाद' शब्द को हटाकर 'आर्थिक सोच' के लिए एक स्थान बनाना चाहता है।



### अब प्रस्तावना

- संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है।
- समाजवाद और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिसे आपातकाल के दौरान पारित किया गया था।

### समाजवादी किस पर जोर देता है?

'समाजवादी' का अर्थ है कि समाजवाद की उपलब्धि, लोकतांत्रिक माध्यमों से समाप्त होती है।

- यह मूल रूप से एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक-दूसरे के सह-अस्तित्व में हैं।
- समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक 'लोकतांत्रिक समाजवाद' है और न कि एक 'साम्यवादी समाजवाद' (जिसे 'राज्य समाजवाद' भी कहा जाता है) है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है।
- दूसरी ओर, लोकतांत्रिक समाजवाद, एक 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' में भी विश्वास रखता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के सह-अस्तित्व में हैं।
- लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।
- भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जो गांधीवादी समाजवाद की ओर बहुत अधिक झुकाव रखता है।

### क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?

- हाँ, 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना, संविधान का एक हिस्सा है और संसद के पास प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार है।
- प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 में, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसने प्रस्तावना में तीन नए शब्द- समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा था।

### वी. के. पॉल समिति

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत सरकार ने देश में रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है।



**वी. के. पॉल समिति के संदर्भ में जानकारी**

- यह एक 21 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य द्वारा की जा रही है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक, इसके सह-अध्यक्ष हैं।

**डा. वी.के. पॉल के संदर्भ में जानकारी**



- डॉ. वी. के. पॉल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के एक पदग्राही सदस्य हैं।
- नीति आयोग में, वह स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्षेत्र का नेतृत्व करते हैं।
- हाल ही में, प्रो. पॉल को भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- उन्होंने पोषण अभियान और आयुष्मान भारत पहल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- नीति आयोग से पहले, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में संकाय के सदस्य रहे हैं।
- डॉ. पॉल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ, शैक्षणिक, चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिपादक हैं।
- उन्हें 2018 विश्व स्वास्थ्य सभा में डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा प्रतिष्ठित इहसान डोगरामेसी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

**संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी. 2.0) योजना**

**खबरों में क्यों है?**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी. 2.0) योजना के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है।



**उद्देश्य:**

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) के माध्यम से सामान्य सुविधाओं और विशेषताओं के साथ-साथ विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी. 2.0) योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) और सामान्य सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.) दोनों की स्थापना का समर्थन करेगी।
- यह योजना ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को आकर्षित करने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का नेतृत्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा आधार तैयार करेगी।

**यह कदम कैसे सहायक होगा?**

यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचे और प्लग एंड प्ले सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी:

- ई.एम.सी. से इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन प्रबंधन (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के विकास में सहायता की उम्मीद है।
- विनिर्माण इकाइयों द्वारा नौकरियों का सृजन
- विनिर्माण इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए करों के रूप में राजस्व
- ई.एम.सी. से भी उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित नवाचार के विकास में मदद करने की उम्मीद है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नए निवेश की उम्मीद है।
- ई.एम.सी. इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर राजस्व में वृद्धि करके क्षेत्र के आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा।

**योजना कहां से लागू होगी?**

- एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) को निश्चित न्यूनतम सीमा के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, विशेषतः उन स्थानों के निकट किया जाएगा, जहां ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सामान्य सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.), क्षेत्र में मौजूद ई.एस.डी.एम. इकाइयों की एक महत्वपूर्ण संख्या होनी चाहिए और सामान्य तकनीकी अवसंरचना को उन्नत करने और इस तरह के ई.एम.सी., औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों/ औद्योगिक गलियारों में ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

**संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी. 2.0) योजना के संदर्भ में जानकारी**

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) की योजना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) और सामान्य सुविधा केंद्र दोनों की स्थापना का समर्थन करेगी।
- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) और सामान्य सुविधा केंद्र (सी.एफ.सी.) दोनों की स्थापना का समर्थन करेगी।
- इन सी.एफ.सी. ने ई.एम.सी., औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों/ औद्योगिक गलियारों में सामान्य तकनीकी अवसंरचना को उन्नत करने और ईएसडीएम इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

## संविधान की आठवीं अनुसूची

### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार तीन भाषाओं भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है।

### संविधान की आठवीं अनुसूची के संदर्भ में जानकारी

- यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की एक सूची है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है।
- ये भाषाएं असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी (21वां संशोधन अधिनियम, 1967 द्वारा जोड़ी गई), कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (71वां संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई), बोडो, डोगरी, मैथिली, संताल (92वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई) हैं।
- सूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं लेकिन बाद में संशोधनों के माध्यम से 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है।

## राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि इस वर्ष 14 नए सुपर कंप्यूटर तैनात किए जाएंगे। इस पहल राष्ट्रीय कम्प्यूटिंग मिशन (एन.एस.एम.) में 4500 करोड़ रूपए लगाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एन.एस.एम.) ने गति पकड़ ली है और भारत के लिए एक कंप्यूटर अवसंरचना और क्षमता निर्माण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।



### उद्देश्य:

- सुपरकंप्यूटिंग में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ इसका उद्देश्य सुपरकंप्यूटर विशेषज्ञता की अगली पीढ़ी का विकास करना है। यह इस प्रकार का पहला मिशन है जो देश की कंप्यूटिंग शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

### राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में जानकारी

यह संस्थानों की संयुक्त पहल है:

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), नई दिल्ली
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), नई दिल्ली
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे
- भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), बेंगलुरु

- सीडैक और आई.आई.एस.सी. मिशन कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

#### यह कैसे प्रभावित करेगा?

- भारत में स्वदेशी रूप से सुपरकंप्यूटरों की क्षमता डिजाइन, विनिर्माण करके शिक्षा, शोधकर्ताओं, एम.एस.एम.ई. और स्टार्टअप्स की बढ़ती कम्प्यूटेशनल मांगों को पूरा करने के लिए देश को सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए मिशन की स्थापना की गई थी।
- मिशन का लक्ष्य कुछ टेरा फ्लॉप्स (टी.एफ.) से लेकर सैकड़ों टेरा फ्लॉप (टी.एफ.) तक के सुपर कंप्यूटरों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया था।
- वर्ष 2022 तक देश भर में राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में 3 पेटा फ्लॉप (पी.एफ.) से अधिक या बराबर की तीन प्रणालियां स्थापित करना है।

#### ऐसे स्थान जहां इन सुपर कंप्यूटरों को स्वदेशी रूप से असंबल किया गया है:

1. परम शिवाय, आई.आई.टी. (बी.एच.यू.)
  2. परम शक्ति, आई.आई.टी.- खड़गपुर
  3. परम ब्रह्म, आई.आई.एस.ई.आर., पुणे
- ये मौसम और जलवायु, कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और सामग्री विज्ञान जैसे डोमेन से संबंधित एप्लीकेशनों से सुसज्जित हैं।
  - अप्रैल, 2020 तक तीन अन्य सुपर कंप्यूटर लगाए जाने की योजना है, जिनमें से प्रत्येक आई.आई.टी. कानपुर, जे.एन. उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु और आई.आई.टी. हैदराबाद में लगाए जाएंगे। ऐसा करने से 6 पेटा फ्लॉप्स (पी.एफ.) तक सुपरकंप्यूटिंग सुविधा बढ़ जाएगी।

#### आई.पी.सी. की धारा 188

##### खबरों में क्यों है?

- 22 मार्च, 2020 को केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्र-व्यापी, जनता कर्फ्यू मनाया गया था जिससे कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सके। जारी किए गए आदेशों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत तैयार किया गया है।
- यह अधिनियम, **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188** के अनुसार इस तरह के आदेशों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा के प्रावधान स्थापित करता है।
- इस संबंध में, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य सरकारों ने लोगों को घरों में रखने के लिए आई.पी.सी. की धारा 188 कर्फ्यू जैसे उपायों की घोषणा की है।

##### उद्देश्य

- कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

##### भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या है?

- महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- ये भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार (आदेश की अवज्ञा सार्वजनिक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रवर्तित की जाती है) हैं।

##### धारा 188 के अंतर्गत दो अपराध हैं:

1. किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा विधिपूर्वक प्रवर्तित किए गए आदेश की अवज्ञा करना, यदि ऐसी अवज्ञा से विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, हानि या चोट पहुँचती है

2. **सजा:** 1 महीने का साधारण कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
- यदि इस तरह की अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा होता है तो 6 महीने के साधारण कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा होगी।
- **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआर.पी.सी.), 1973 की पहली अनुसूची के अनुसार, दोनों अपराध संज्ञेय, जमानती हैं और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं।**

#### देश में सरकार ने इन अंकुशों को क्यों लगाया है?

- नॉवेल कोरोनावायरस, जो मुख्य रूप से व्यक्ति-से-व्यक्ति (पहले चीन के वुहान में पिछले साल के अंत में) में फैलने के लिए जाना जाता है और तब से यह कम से कम 177 देशों और क्षेत्रों में फैल गया है और हजारों को संक्रमित कर चुका है।
- इस वायरस ने दुनिया के कई क्षेत्रों में सामुदायिक संचरण दर्शाया है।
- इसके प्रकोप का मुकाबला करने के लिए, भारत में कई राज्यों ने सार्वजनिक भीड़ को कम करने के उद्देश्य से लागू किए गए उपायों को "सोशल डिस्टेंसिंग" कहा है।
- कई भारतीय राज्यों सहित कार्यालयों, स्कूलों, संगीत, सम्मेलनों, खेल आयोजनों, शादियों को दुनिया भर में बंद या रद्द करने का आदेश दिया गया है।

#### वित्त विधेयक

##### खबरों में क्यों है?


- लोकसभा ने कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण चर्चा के बिना वॉइस वोट से वित्त विधेयक को पारित कर दिया है।

##### वित्त विधेयक क्या है?

- वित्त विधेयक, प्रत्येक वर्ष के बजट का हिस्सा होता है। इसे वित्तीय वर्ष के लिए देश के वित्तीय प्रस्तावों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पेश किया जाता है।

##### मुख्य विचार

- केंद्रीय बजट के तुरंत बाद वित्त मंत्री संसद में विधेयक पेश करते हैं।
- सरकार, वित्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक का उपयोग करती है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बदलावों को अधिसूचित करती है, जिसमें निम्न हेतु प्रस्ताव भी शामिल हैं:
- नए करों की उगाही
- संसद के लिए मौजूदा कर संरचना
- सत्ताधारी सरकार, प्रस्तावों के एक सेट के लिए संसदीय मंजूरी चाहती है।
- राज्य सभा प्रत्यक्ष रूप से धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, यह केवल विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है।
- राज्यसभा को विधेयक की प्राप्ति से चौदह दिनों के भीतर लोकसभा में धन विधेयक लौटा सकती है। लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सभी या किसी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- विधेयक को संसद में पेश होने के 75 दिनों के भीतर अवश्य ही पारित किया जाना चाहिए।



- वित्त विधेयक, एक ज्ञापन के साथ होता है जिसमें विधेयक में शामिल प्रावधानों का स्पष्टीकरण होता है।
- विधेयक को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - धन विधेयक- अनुच्छेद 110
  - वित्त विधेयक (I) - अनुच्छेद 117 (1)
  - वित्त विधेयक (II) – अनुच्छेद 117 (3)
- वित्त विधेयक I और II में कराधान और व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- धन विधेयक में उधार से संबंधित प्रावधान, आकस्मिक निधि से धन की निकासी और केंद्र या राज्य स्तर पर कर कानूनों में संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत के समेकित कोष से धन का विनियमन शामिल है।

CRITERIA FOR BEING A MONEY BILL		
Article 110 of the Constitution defines the Money Bill		
Money Bills are those Bills which contain "only" provisions dealing with all or any of the matters specified in Article 110 sub-clauses:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appropriation of moneys out of Consolidated Fund of India</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Bill which has any provision other than money provision (as mentioned in sub-clauses) is not a Money Bill</li> <li>Constitution gives power to the Lok Sabha Speaker to take a final call if any question arises whether a Bill is a Money Bill or not</li> <li>Speaker's decision is final and cannot be challenged in any court of law</li> <li>RS has limited powers with respect to Money Bills</li> <li>Lok Sabha has supreme power in terms of Money Bills</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulation of borrowing of money or the giving of any guarantee by govt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaring of any expense to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such fund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Receipt of money on account of Consolidated Fund of India or Public Account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State</li> </ul>	


इसलिए, वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि धन विधेयक, वित्त विधेयक का एक हिस्सा है। इसलिए, सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं हैं।

**नोट:** केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनमें विशेष रूप से वे मामले होते हैं जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित हैं।

## डिजिटल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म

### खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों से कोविड-19 के प्रकोप के बीच-डिजिटल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कहा है।



### मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ डिजिटल पहल/ मंच

#### (i) दीक्षा

- यह शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।
- दीक्षा में सी.बी.एस.ई., एन.सी.ई.आर.टी. और राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई कक्षा 12वीं के लिए 80000 से अधिक ई-बुक्स हैं, जो कई भाषाओं में उपलब्ध हैं।

#### (ii) ई-पाठशाला

- यह पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, वीडियो, आवधिक और अन्य डिजिटल संसाधनों सहित सभी शैक्षिक ई-संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एन.सी.ई.आर.टी. की एक संयुक्त पहल है।
- इस वेब पोर्टल में एन.सी.ई.आर.टी. ने विभिन्न भाषाओं में पहली से 12वीं कक्षा के लिए 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई-ई-बुक्स (ई-पब) और 504 फ्लिप बुक्स जारी की है।

#### (iii) स्वयं

- रूटडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM), ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच है, जो स्कूल से स्नातकोत्तर स्तर तक स्कूल (9वीं से 12वीं) को शामिल करता है।

#### (iv) स्वयम प्रभा

- यह 24X7 आधार पर पूरे देश में डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।

#### (v) भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

- यह एकल-खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है।

## अधिवक्ता कल्याण योजना

### खबरों में क्यों है?

- कई वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिससे कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बी.सी.डी.) के साथ नामांकित सभी वकीलों के लिए 'मुख्यमंत्री की अधिवक्ता कल्याण योजना' के लाभ

का विस्तार करने हेतु शहरी प्रशासन को न्यायालय निर्देश दे, चाहे उनके नाम राजधानी की मतदाता सूची में हो या न हों।

#### अधिवक्ता कल्याण योजना के संदर्भ में जानकारी

- दिल्ली सरकार ने 2019 में मुख्यमंत्री की अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
- सभी जिला न्यायालयों में- तिस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, करकराडूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में ई-जर्नल, वेब संस्करण और अन्य सुविधाओं के साथ 10 कंप्यूटरों के साथ ई-पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- इसमें एस.सी.सी. ऑनलाइन, दिल्ली लॉ टाइम्स के साथ-साथ हेवी-ड्यूटी प्रिंटर भी शामिल हैं।
- सभी अदालतों में शिशु-गृह की सुविधा होगी।
- वकीलों को अन्य सुविधाओं के साथ समूह जीवन बीमा, परिवार चिकित्सा दावा नीति मिलेगी।

#### योजना की मुख्य विशेषताएं

- समूह (टर्म) बीमा प्रति वकील 10,00,000/- रुपये का जीवन कवर प्रदान करता है।
- अधिवक्ताओं, उनके पति/ पत्नी, 25 वर्ष की आयु तक के दो भरोसेमंद बच्चों के लिए ग्रुप मेडी-क्लेम कवरेज, 5,00,000/ रुपये का पारिवारिक फ्लोटर सम इन्स्योर्ड है।

#### पात्रता:

वे सभी अधिवक्ता जो दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और दिल्ली के अधिवक्ता-मतदाता हैं वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

#### सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

##### खबरों में क्यों है?

- केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भारतीय सांसदों के साथ उपलब्ध विवेकाधीन निधि के उपयोग के लिए मानदंडों में ढील प्रदान की है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग करने के लिए वन-टाइम वितरण प्रदान करने वाला एक परिपत्र जारी किया है।

##### यह कैसे प्रभावित करेगा?

- इससे सांसदों को सरकारी अस्पतालों/ औषधालयों की चिकित्सा परीक्षण और रोगियों की जांच के लिए उपकरणों की खरीद के लिए धन की सिफारिश करने और अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य संबंधित सुविधाओं को स्थापित करने में भी सुविधा होगी।

##### निधि का उपयोग इसके लिए भी किया जा सकता है:

- **इंफ्रा-रेड थर्मामीटर (गैर-संपर्क)**, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को एक व्यक्ति के तापमान को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) किट**, चिकित्सा कर्मियों को अच्छी तरह से संरक्षित रखने और उन्हें संचरण के जोखिम को कम करके कुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं के लिए **थर्मल इमेजिंग स्कैनर या कैमरे**, जो सुरक्षित दूरी से तापमान का पता लगाने की अनुमति देते हैं।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित **कोरोना परीक्षण किट**
- उनकी स्वीकृत सुविधाओं के भीतर **आई.सी.यू. वेंटीलेटर और आइसोलेशन/ क्वारंटाइन वाई**
- चिकित्सा कर्मियों के लिए फेस मास्क, दस्ताने और सैनिटाइज़र



- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए अनुशंसित कोई अन्य चिकित्सा उपकरण

#### सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एक चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 1993-94 में शुरू की गई थी।
- यह योजना सांसद सदस्यों को स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है, जो उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क इत्यादि नामक राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुरू करने की आवश्यकता होती है।

#### कार्यान्वयन एजेंसी

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, धनराशि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

#### विशेषताएं

- एम.पी.एल.ए.डी.एस., भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक नीति योजना है।
- प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक एम.पी.एल.ए.डी.एस निधि पात्रता 5 करोड़ रु है।
- सांसदों को प्रत्येक वर्ष सिफारिश करनी होती है, अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष के लिए एम.पी.एल.ए.डी.एस के कम से कम 15 प्रतिशत लागत वाले कार्यों और एस.टी. आबादी द्वारा बसे क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत काम कराना है।

#### कुर्जरबीट योजना

##### खबरों में क्यों है?

- नॉवेल कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाले चौतरफा व्यवधान के बीच, दुनिया भर में एक चिंता नौकरियों के नुकसान की संभावना की है।
- विभिन्न सरकारों ने इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों का खुलासा किया है और सबसे ज्यादा चर्चा में से एक कुर्जरबीट, जर्मनी की मौजूदा योजना है।

##### योजना के उद्देश्य

- कुर्जरबीट योजना का लक्ष्य ऐसे श्रमिकों को संबोधित करना है जो ऐसे समय में काम के घंटों में कमी के कारण आय की हानि से प्रभावित होते हैं।
- वे योजना के अंतर्गत अल्पकालिक कार्य लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं, सरकार ने कर्मचारियों को उनकी खोई आय का एक हिस्सा देने के लिए कदम रखा है।
- इससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हटाने के बजाय उन्हें बनाए रखने में मदद मिलती है और बाद वाले को 12 महीने तक की अवधि के लिए खुद को बनाए रखने की अनुमति मिलती है।

##### योजना कैसे काम करती है?

- कुर्जरबीट, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ "लघु-काम" है।
- इस नीति में एक कम समय के भत्ते का प्रावधान किया गया है, जिसे कुर्जर्बिटगोल्ड कहा जाता है, जो अनिश्चित आर्थिक स्थितियों के दौरान आंशिक रूप से खोई हुई कमाई की भरपाई करता है।
- इस नीति को 2008 के आर्थिक संकट के दौरान शुरू किया गया था, जबकि इसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के पहले और बाद में हुई थी।
- जब कंपनियों को अप्रत्याशित आर्थिक स्थितियों के कारण आय में कमी का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें अक्सर अपने काम के घंटों में कटौती करने या अपने कर्मचारी के घर भेजने की आवश्यकता होती है।



### अनिश्चित काल के लिए स्थगन

#### खबरों में क्यों है?

- कोरोनोवायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण हाल ही में वित्त विधेयक, 2020 के पारित होने के बाद लोकसभा को बिना किसी बहस के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

#### अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में जानकारी

- इसका अर्थ अनिश्चित काल के लिए संसद की बैठक को समाप्त करना है।
- दूसरे शब्दों में, जब सदन को पुनर्विचार के लिए एक दिन का समय दिए बिना स्थगित किया जाता है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है।
- स्थगन के साथ-साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। वह सदन की बैठक को उस तारीख या समय से पहले भी बुला सकता है जिसमें उसे स्थगित किया गया है या सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय है।

#### पीठासीन अधिकारी कौन है?

- लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है।
- अध्यक्ष को सामान्यतः आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुना जाता है।
- अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में से पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और यह सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्य के सम्मेलन द्वारा होता है।

### कोबड्डी प्लेटफॉर्म

#### खबरों में क्यों है?

- तिरुवल्लुर पुलिस ने कोबड्डी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें चेहरे की पहचान सुविधाओं के साथ एक एप्लीकेशन शामिल है, जिसे होम क्वारंटाइन के अंतर्गत रखे गए लोगों से संवाद करने और उनकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है।

#### यह सरकार की कैसे मदद करता है?

- यह होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की निगरानी करने में, उनसे प्रभावी ढंग से संवाद करने में और अंततः उनके घर तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का समन्वय करता है।
- इसका उपयोग होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की स्थिति पर नज़र रखने और उनके साथ संवाद करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा भी किया जा सकता है।

### महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कपड़ा मंत्री ने लोकसभा में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एम.जी.बी.बी.वाई.) के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है।

#### महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे दिसंबर, 2003 में शुरू किया गया था, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही जनश्री बीमा योजना और ऐड-ऑन समूह बीमा योजना का एक संयोजन था।
- 2005-06 से इस योजना को संशोधित किया गया था और "महात्मा गांधी बुनकर योजना" शीर्षक के साथ संशोधित किया गया था।
- महात्मा गांधी बुनकर योजना की 12वीं योजना को उन्हीं लाभों के साथ लागू किया जाना चाहिए जो कि 11वीं योजना अवधि में दिए गए थे।



### उद्देश्य

- योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक के साथ ही आकस्मिक मृत्यु के मामले में और कुल या आंशिक विकलांगता के मामलों में हथकरघा बुनकरों को संवर्धित बीमा कवर प्रदान करना है।

### पात्रता

- बुनकर को हथकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50% अर्जित करना चाहिए।
- 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच सभी बुनकर, चाहे वह पुरुष हो या महिला, योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं।
- बुनकर, सहकारी समिति के नियमित सदस्य होने के कारण योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे।
- राज्य हथकरघा विकास निगमों से संबद्ध बुनकर भी इस योजना के पात्र होंगे।

### अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पी.आई.एस.ए.)

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 15000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का आवंटन किया है। जिसमें वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में दिल्ली के छात्रों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

#### अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) का एक व्यापक अध्ययन कार्यक्रम है। यह वास्तविक जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए 15 वर्षीय छात्र के पढ़ने, गणित और विज्ञान के ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की क्षमता को मापता है।
- यह वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और फिर इसे प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित किया जाता है।
- पी.आई.एस.ए. 2018, पी.आई.एस.ए. का सातवाँ अध्ययन था जिसमें चीन रैंकिंग में सबसे ऊपर था, उसके बाद सिंगापुर का स्थान था।
- भारत, केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.), नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अन्य स्कूलों के छात्रों के साथ पी.आई.एस.ए. 2021 में भाग ले रहा है।

#### आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के संदर्भ में जानकारी

- ओ.ई.सी.डी., 36 सदस्य देशों के साथ एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है।
- ओ.ई.सी.डी., एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है।
- इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।

- इसके आधिकारिक संस्थापक सदस्य: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

#### ओ.ई.सी.डी. की अन्य एजेंसियां

- ओ.ई.सी.डी. विकास केंद्र (1961)
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई.ई.ए., 1974)
- मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

### प्रधानमंत्री का नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति (पी.एम.-केयर) राहत कोष

#### खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति (पी.एम.-केयर) राहत के गठन की घोषणा की है।
- यह किसी भी प्रकार के आपातकाल या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है, जैसा कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न स्थिति है।

#### पी.एम.-केयर्स कोष के संदर्भ में जानकारी

- यह कोष 1948 में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- इसके अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
- इस कोष में किए गए दान को धारा 80 (जी) के अंतर्गत आयकर से छूट प्रदान की जाएगी।

### हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अब एक शेड्यूल H1 दवा है।

#### खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुसूची-H1 के अंतर्गत मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अधिसूचित किया है।
- यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है।
- इस कदम का उद्देश्य इस दवा के दुरुपयोग को रोकना है जिसे अब सरकार ने कोविड-19 रोगियों के उच्च जोखिम वाले संपर्कों में रोगनिरोधी उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है और ऐसे रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं के लिए भी इस दवा के उपयोग को अनुमति प्रदान की गई है।

#### औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 के संदर्भ में जानकारी

- इसमें दी गई अनुसूची के अंतर्गत दवाओं के वर्गीकरण के प्रावधान हैं और प्रत्येक अनुसूची के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और पर्चे के लिए दिशानिर्देश हैं।

#### ये अनुसूचियां हैं:

##### अनुसूची H1

- इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक्स, एंटी-टी.बी. और कुछ अन्य दवाओं के अंधाधुंध उपयोग की जाँच करना है।
- इन दवाओं को वैध पर्चे के बिना बेचा नहीं जा सकता है।
- दवाओं के पैकेज में लाल रंग के बॉर्डर के साथ एक बॉक्स में मुद्रित चेतावनी अनिवार्य है।

##### अनुसूची H

- इन दवाओं को वैध पर्चे के बिना नहीं बेचा जा सकता है।
- किसी भी शेड्यूल H दवा के लेबल के ऊपरी बाएँ कोने पर "Rx" प्रदर्शित होना चाहिए।

### अनुसूची X

- किसी भी अनुसूची X दवा के लेबल के ऊपरी बाएँ कोने पर "XRx" प्रदर्शित होना चाहिए।
- इसमें मादक और साइकोट्रॉपिक (नशीले) पदार्थों पर आधारित दवाएं भी शामिल हैं।
- इन दवाओं को भी एक वैध पर्चे के बिना नहीं बेचा जा सकता है।
- दवा खुदरा विक्रेता को पर्चे की कॉपी को दो वर्ष तक संरक्षित रखना होगा।

### आई.पी.सी. की धारा 269 और 270

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कोरोनावायरस प्रकोप के दौरान, दंडात्मक प्रावधानों जैसे आई.पी.सी. की धारा 188, 269 और 270 के अंतर्गत दंडात्मक आदेश लागू किए जा रहे हैं, जिससे कि विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन को लागू किया जा सके।

#### आई.पी.सी. की धारा 269 और 270 क्या हैं?

- आई.पी.सी. की धारा 269 और 270 भारतीय दंड संहिता के अध्याय XIV- सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों के अंतर्गत आती है।
- धारा 269 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए लापरवाही से काम करने की संभावना) छह महीने की जेल और/ या जुर्माने का प्रावधान करती है।
- धारा 270 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए घातक कृत्यों संभावना) दो वर्ष की जेल और/ या जुर्माने का प्रावधान करती है।
- 'घातक रूप से' शब्द, अभियुक्त की ओर से एक जानबूझकर किए गए इरादे को इंगित करता है।
- दोनों खंडों का उपयोग एक सदी से अधिक के लिए किया गया है, जिसमें महामारी से संबंधित जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करने पर दंडित करने हेतु उपयोग किया गया है।

### इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग पर कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों के प्रभाव को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन के साथ एक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एडवाइजरी जारी की है।
- यह नोट कंपनियों और ऑडिटर्स को संपत्ति की हानि को मापने, आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन करने और कारोबार की क्षमता को चालू रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

#### इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है।
- यह 1949 में लेखाकार के पेशे को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था और यह भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखाकार पेशे का एकमात्र लाइसेंसिंग सह विनियमन निकाय है।
- यह भारत में कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय लेखा मानक सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) के लिए लेखांकन मानकों का पालन करने की सिफारिश करता है।



## आर्थिक एवं सामाजिक विकास

### इन्हेंस्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE0)

- वित्त मंत्री ने इन्हेंस्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE 0) लॉन्च किया है।

**EASE 3.0: Digital & data-driven PSBs**

<b>Smart Lending for Aspiring India</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dial-a-loan for doorstep facilitation</li><li>Credit@click: End-to-end digital retail and MSME lending</li><li>Alternate-data-based lending using cash-flow analysis</li><li>Analytics-based credit offers</li><li>Tech-enabled agricultural lending and export credit</li></ul>	<b>Hard-wiring sound banking through IT systems</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Collections and Recovery Management Systems</li><li>Risk Scoring &amp; Scrutiny Platform</li><li>Early Warning Signals System for SOP-driven remedial actions</li><li>Cloud-based banking solutions</li><li>AML Compliance Monitoring System</li><li>Alternate-data- and technology-based monitoring</li></ul>
<b>Tech-enabled Ease of Banking</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Palm Banking: End-to-end digital delivery of financial services</li><li>"Banking on the go" through EASE Banking Outlets: Paperless, digitally enabled banking at frequently visited spots like malls, stations, complexes and campuses</li><li>Digitalsing the branch experience for customers</li></ul>	<b>Governance and outcome-centric HR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Board oversight for alignment of structures and processes with strategic goals</li><li>Succession Planning</li><li>Productivity assessment and IT-system based HR deployment</li><li>Scientific and business-focussed Performance Mgmt System</li><li>Specialised job families and cadres</li></ul>

### इन्हेंस्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE 3.0) के संदर्भ में जानकारी

- EASE (इन्हेंस्ट एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) 3.0 एजेंडे का उद्देश्य उन्नत समाधान प्रदान करना है जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग को स्मार्ट और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाएगा।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं में ग्राहक के अनुभव को डिजिटल बनाना है।

### परियोजना निगरानी समूह (पी.एम.जी.) पोर्टल

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने परियोजना निगरानी समूह पोर्टल के माध्यम से 17 बड़े आकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है।

### परियोजना निगरानी समूह के संदर्भ में जानकारी

- परियोजना निगरानी समूह (पी.एम.जी.) परियोजनाओं में मुद्दों के शीघ्र समाधान और परियोजनाओं में विनियामक बाधाओं को हटाने के लिए डी.पी.आई.आई.टी. का एक संस्थागत तंत्र है।
- यह भारत में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ परियोजनाओं में विनियामक अड़चनों को दूर करने और मुद्दों का शीघ्र समाधान करने में मदद करता है।
- पी.एम.जी., सभी सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाओं के अनसुलझे परियोजना मुद्दों को सूचीबद्ध करता है और मंजूरी की तीव्र निगरानी, क्षेत्रीय नीति के मुद्दों और तेजी से कमीशन के लिए बाधाओं को हटाने का कार्य करता है।
- इन्वेस्ट इंडिया, राज्यों के साथ मुद्दों की पहचान करने और उनका अनुसरण करने में पी.एम.जी. को कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करता है।

### एस.सी. ने क्रिप्टोकॉर्सेसी में व्यापार को मुक्त कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल, 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) के परिपत्र को नियत किया है, जिसने बैंकों और इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित किया है।

### क्रिप्टोकॉर्सेसी के संदर्भ में जानकारी

- क्रिप्टोकॉर्सेसी, एक एन्क्रिप्टेड विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो साथियों के बीच स्थानांतरित की जाती है और खनन नामक प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक बहीखाता में पुष्टि की जाती है।

### कुछ महत्वपूर्ण क्रिप्टोकॉर्सेसी हैं

- बिटकॉइन
- स्विफ्टकॉइन
- बाइटकॉइन
- लाइटकॉइन
- नेमकॉइन
- ग्रिडकॉइन

### क्रिप्टोकॉर्सेसी के उपयोग से संबंधित जोखिम

- डिजिटल मुद्राएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होने के कारण हैकिंग, पासवर्ड भूलने से उत्पन्न होने वाले नुकसान आदि का खतरा होता है।
- भुगतानों को विनियमित करने या शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी अधिकृत केंद्रीय एजेंसी की कमी होना
- क्रिप्टोकॉर्सेसी के लिए परिसंपत्ति का कोई अंतर्निहित नहीं है, जिससे मूल्य अटकलों का विषय बन जाता है।
- एक्सचेंज, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए कई न्यायालयों की उपलब्धता एक मुश्किल है।
- ट्रेडिंग, उपयोगकर्ता को अवैध और गैर-कानूनी गतिविधियों के अधीन कर सकती है क्योंकि क्रिप्टोकॉर्सेसी को आसानी से गुमनाम रूप से अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

### ऊर्जा दक्षता सूचना उपकरण

- विश्व संसाधन संस्थान के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता पर एक डेटाबेस की सुविधा के लिए अभी तक की पहली पहल के रूप में ऊर्जा दक्षता सूचना उपकरण लॉन्च किया है।

### ऊर्जा दक्षता सूचना उपकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच है जो उद्योग, उपकरण, भवन, परिवहन, नगरपालिका और कृषि क्षेत्रों में भारत के ऊर्जा दक्षता परिदृश्य की व्याख्या करता है।
- यू.डी.आई.टी., बढ़ते ऊर्जा दक्षता डोमेन में सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए क्षमता निर्माण और नई पहल का प्रदर्शन करेगी।

### ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- यह मार्च, 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधानिक निकाय है।
- इसका मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों में सहायता करना है।

### विश्व संसाधन संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह एक वैश्विक अनुसंधान गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक अवसर और मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।
- इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है।

### भारत का ऊर्जा क्षेत्र

- भारत का ऊर्जा क्षेत्र, सरकार की हालिया विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं के संक्रमण के लिए तैयार है अर्थात
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावॉट स्थापित क्षमता
- सभी के लिए 24x7 बिजली
- घरों का 100% विद्युतीकरण

### सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मेगा समेकन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस पी.एस.बी. के चार पी.एस.बी. में मेगा समेकन को मंजूरी प्रदान की है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।
- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन
- सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में समामेलन
- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन
- इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन

### लाभ

- इससे बैंकों को वैश्विक बैंकों के समतुल्य पैमाने के पर बनाने और भारत और विश्व स्तर पर प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।
- समेकन के माध्यम से बड़े पैमाने और तालमेल से पी.एस.बी. को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम बनाने के लिए लागत लाभ पैदा करेगा।
- यह समामेलन बैंकों में प्रौद्योगिकियों को अपनाने, एक व्यापक प्रतिभा पूल तक पहुंच और एक बड़े डेटाबेस का परिणाम देगा।

### ए.टी.-1 बॉन्ड

- रेटिंग एजेंसी आई.सी.आर.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों के पास भारतीय बैंकों में ए.टी.-1 बॉन्ड पर 93000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल दांव हैं और यस बैंक लिमिटेड में पूरा लिखित रूप से प्रस्तावित है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एस.बी.आई. के नेतृत्व वाली पुनर्गठन योजना में ए.टी.-1 बॉन्ड पर पूरे बकाया को लिखने का प्रस्ताव है।

### ए.टी.-1 बॉन्ड के संदर्भ में जानकारी

- अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड को बाजार बोलचाल में ए.टी.-1 भी कहा जाता है, ये बिना किसी समाप्ति तिथि के एक प्रकार के स्थायी बांड हैं जो बैंकों को उनकी दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी करने की अनुमति है।
- ए.टी.-1 बॉन्ड एक प्रकार के असुरक्षित बॉन्ड हैं जो बैंक बेसल-III मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने मुख्य पूंजी आधार का समर्थन करने हेतु जारी करते हैं।
- उन्हें कानून के अंतर्गत अर्ध-इक्विटी साधनों के रूप में माना जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक, ए.टी.-1 बॉन्ड का विनियामक है।
- ये बांड बैंकों और कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो नियमित अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करते हैं।
- इन बॉन्डों को जारी करने वाले बैंकों को निवेशकों को मूलधन वापस देने की कोई अनिवार्यता नहीं है।





### **2020 के अंत तक साझा अर्थव्यवस्था 2 बिलियन डॉलर पर होगी।**

- मेपल कैपिटल एडवाइजर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साझा अर्थव्यवस्था चालू वर्ष के अंत तक लगभग \$2 बिलियन का उद्योग होने का अनुमान है।

#### **साझा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जानकारी**

- साझा अर्थव्यवस्था, एक आर्थिक मॉडल है जिसे उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने, प्रदान करने या साझा करने की सहकर्मियों से सहकर्मियों (पी2पी) आधारित गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रायः समुदाय-आधारित ऑन-लाइन मंच द्वारा सुविधा प्रदत्त होता है।
- इसमें सह-कामकाज (ऑफिस, वी वर्क इंडिया), सह-जीवन (स्टांजा लिविंग, ओयो लाइफ, ऑक्सफोर्ड कैप), साझा गतिशीलता (उबर, ओला, शटल) और फर्नीचर किराए (फुर्लियो, रेंटोमोजो) जैसे सेगमेंट शामिल हैं।

#### **दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन**

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 25,000 करोड़ की राशि के लिए आयोजित तीसरे दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (एल.टी.आर.ओ.) में 1.71 ट्रिलियन प्राप्त किए हैं।

#### **एल.टी.आर.ओ. क्या है?**

- यह एक उपकरण है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक वर्ष से तीन वर्ष तक धन प्रदान करता है।
- यह संपार्श्विक के रूप में मिलान या उच्च कार्यकाल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों को स्वीकार कर रहा है।
- आर.बी.आई. की तरलता समायोजन सुविधा (एल.ए.एफ.) और सीमांत स्थायी सुविधा की मौजूदा खिड़कियां बैंकों को 1-28 दिनों तक उनकी तत्काल आवश्यकताओं के लिए धन मुहैया कराती हैं, एल.टी.आर.ओ. उनको 1 से 3 वर्ष की आवश्यकताओं के लिए तरलता की आपूर्ति करता है।
- एल.टी.आर.ओ. ऑपरेशन का उद्देश्य बाजार में अल्पकालिक ब्याज दरों को नीतिगत दर से दूर रखने से रोकना है, जो कि रेपो दर है।

#### **आर.बी.आई. ने एल.टी.आर.ओ. क्यों पेश किया?**

- आर.बी.आई. ने मौजूदा बाजार की स्थितियों के सापेक्ष उचित मूल्य पर टिकाऊ तरलता की उपलब्धता के बारे में बैंकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से एल.टी.आर.ओ. की शुरुआत की थी।
- यह आगे भी बैंकों को परिपक्वता परिवर्तन को सुचारू और निर्बाध रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे कि उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि हो सके।

#### **एल.टी.आर.ओ. कब शुरू होगा?**

- आर.बी.आई., पॉलिसी दर पर 15 फरवरी से शुरू होने वाले पखवाड़े में एल.टी.आर.ओ. का आयोजन करेगा।

#### **ये कैसे चलेगा?**

- यह एक उपाय है, जिससे बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि अल्पकालिक दरों में कमी आएगी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
- आर.बी.आई. के पहले शुरू किए गए ऑपरेशन ट्विस्ट के साथ मिलकर किए गए नए उपाय हैं जिन्हें केंद्रीय बैंक द्वारा बांड आय को प्रबंधित करने और पहले की दर में कटौती के संचरण को बढ़ाने का एक प्रयास है।

### निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना (आर.ओ.डी.टी.ई.पी.) को शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।

#### योजना के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों द्वारा चुकाए गए करों और शुल्कों जैसे कि मूल्य वर्धित कर, कोयला उपकर, परिवहन लागत अन्य की प्रतिपूर्ति करना है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा तंत्र के अंतर्गत छूट या रिफंड नहीं मिल रहा है।
- यह भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एम.ई.आई.एस.) को प्रतिस्थापित करेगा, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था क्योंकि यह निर्यात-केंद्रित था।

#### भारत से व्यापारिक निर्यात योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) 2015-20 में पेश किया गया था।
- इसका उद्देश्य एम.एस.एम.ई. क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादों सहित भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतों की भरपाई करना है।

### तेल की मांग और आयात

- केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने लोकसभा में तेल की मांग और आयात के बारे में जानकारी दी है।

#### कुछ आंकड़े

- वर्ष 2018-19 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 213.2 एम.एम.टी. थी।
- वर्ष 2018-19 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के आधार पर तेल पर आयात निर्भरता का प्रतिशत लगभग 83.8% था।



#### भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड

- यह भारत सरकार का विशेष प्रयोजन वाहन है, इसने तीन स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) की कुल क्षमता के साथ सागरिक पेट्रोलियम रिजर्व (एस.पी.आर.) सुविधाएं स्थापित की हैं, जिनके नाम हैं:
- विशाखापट्टनम
- मंगलुरु

- पादुर (कर्नाटक)
- 2017-18 के खपत प्रारूप के अनुसार, कुल क्षमता का अनुमान, कच्चे तेल की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिन प्रदान करने का अनुमान है।
- तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) के पास वर्तमान में 64.5 दिनों का स्टॉक है। इसलिए, पेट्रोलियम उत्पादों की कुल भंडारण क्षमता 74 दिन है।
- सरकार ने दो स्थानों पर 6.5 एम.एम.टी. की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त एस.पी.आर. सुविधाएं स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है, जिनके नाम हैं:
- ओडिशा में चांदीखोल (4 एम.एम.टी.)
- कर्नाटक में पादुर (2.5 एम.एम.टी.)

### **एम.ए.सी.एस. 4028: गेहूं की एक अर्ध-बौनी किस्म**

#### **खबरों में क्यों है?**

- अधरकर अनुसंधान संस्थान (ए.आर.आई.), पुणे के वैज्ञानिकों ने एक बायोफोर्टिफाइड डुरम गेहूं किस्म एम.ए.सी.एस. 4028 विकसित की है, जो उच्च प्रोटीन सामग्री है।



#### **एम.ए.सी.एस. 4028 के संदर्भ में जानकारी**

- यह एक अर्ध-बौनी किस्म है, जो 102 दिनों में परिपक्व होती है और इसने 19.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता दर्शाई है।
- यह स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, फोलियर एफिड्स, रूट एफिड्स और भूरा गेहूं घुन के लिए प्रतिरोधी है।
- इस गेहूं में उच्च प्रोटीन सामग्री 14.7%, बेहतर पोषण गुणवत्ता वाला जिंक 40.3 पी.पी.एम. और 46.1 पी.पी.एम. की लौह सामग्री है, इसने अच्छी पिसाई गुणवत्ता और समग्र स्वीकार्यता दर्शाई है।
- एम.ए.सी.एस. 4028 किस्म को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) कार्यक्रम द्वारा भी कुपोषण को कम करने के लिए निरंतर रूप से शामिल किया गया है।
- यह राष्ट्रीय पोषण रणनीति, विजन 2022 "कुपोषण मुक्त भारत" को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

#### **राष्ट्रीय पोषण रणनीति के संदर्भ में जानकारी**

नीति आयोग ने 2017 में राष्ट्रीय पोषण रणनीति (एन.एन.एस.) प्रकाशित की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) की छतरी के नीचे एमओ.एच.एफ.डब्ल्यू., ने कुपोषण को दूर करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है।

#### **उद्देश्य और लक्ष्य:**

- एन.एफ.एच.एस.-4 स्तरों से वर्ष 2022 तक बच्चों में कम वजन प्रचलन (0-3 वर्ष) में 3-बिंदु प्रतिशत/वर्ष की कमी दर्ज की जाएगी। इनमें (i) कार्रवाई के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र, (ii) पोषण विशिष्ट हस्तक्षेप और (iii) वित्तपोषण (लाभ) शामिल हैं।
- बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु की महिलाओं (डब्ल्यू.आर.ए.) में एनीमिया के मामलों में 1/3 की कमी 3-बिंदु प्रतिशत के अंतर्गत, निम्न के माध्यम से 'वित्तपोषण' का लाभ उठाया जाता है:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
  - राष्ट्रीय पोषण मिशन
  - समेकित बाल विकास योजना
  - स्वच्छ भारत मिशन
  - केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के लिए 25% फ्लेक्सि फंड का प्रावधान

**भारत में कुपोषण को रोकने के लिए संचालित अन्य योजनाएं और कार्यक्रम:**

1. "एम.ए.ए.- मदर्स एक्सोस्यूट अफेक्शन", सरकार ने देश में स्तनपान कवरेज और उचित स्तनपान प्रथाओं में सुधार करने के लिए "एम.ए.ए.- मदर्स एक्सोस्यूट अफेक्शन" कार्यक्रम लागू किया है।

2. **राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल**

- इसे जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यक्रम मोड में बच्चों, किशोरों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया के पूरक और उपचार के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में शुरू किया गया है।
  - 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विटामिन A पूरकता (वी.ए.एस.)
  - संपूर्ण जीवन के चरणों में आयरन और फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) पूरक के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने और उनका उपचार करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है:
- a. 6 से 59 महीने के बच्चों के लिए द्wi-साप्ताहिक आई.एफ.ए. सिरप पूरकता  
b. 5-10 वर्ष के बच्चों और 10-19 वर्ष के किशोरों को साप्ताहिक आई.एफ.ए. टैबलेट पूरकता  
c. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियाँ

3. **राष्ट्रीयकृमि मुक्ति दिवस**, ए.डब्ल्यू.सी. और स्कूल मंचों के माध्यम से 1-19 वर्ष के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियाँ देने की एक निश्चित दिन की रणनीति है।

4. **गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आई.डी.सी.एफ.)** जुलाई-अगस्त के दौरान मनाया जाता है, इससे दस्त होने पर ओ.आर.एस. और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य 'बचपन के दस्त के कारण शून्य बच्चों की मृत्यु' है।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)**, इसका उद्देश्य प्रणालीगत प्रयासों के साथ बच्चों और किशोरों में पोषण की कमी का पता लगाना है।

5. **मिशन इन्द्रधनुष**

- इसे 25 दिसंबर, 2014 को चिन्हित जिलों में सभी टीकों के साथ बच्चों के उच्च कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है।

6. **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)**, ब्लॉक स्तर पर मोबाइल स्वास्थ्य संदर्भ की पहुँच का प्रसार करके 30 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए बच्चों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान करता है और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के लिए जिलों में जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डी.ई.आई.सी.) की स्थापना करना है।

7. **ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस और माता एवं बाल संरक्षण कार्ड**, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।

- इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करना है।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.), आंगनवाड़ी केंद्र में ग्राम स्तर पर मासिक दिन आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि जागरूकता और आहार प्रथाओं में वांछित परिवर्तन लाया जा सके।
- यह स्तनपान को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है।

**नोट:** हाल ही में, राष्ट्रीय पोषण मिशन को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है, जिससे कि व्यापक रूप से देश में कुपोषण की स्थिति को संबोधित किया जा सके।

### केकियांग सूचकांक

**खबरों में क्यों है?**

- हाल ही में, केकियांग सूचकांक ने चीन के सबसे हालिया कोविड-19 आंकड़ों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से अब देश में शून्य स्थानीय संक्रमण हैं।

**ली केकियांग सूचकांक क्या है?**

- ली केकियांग सूचकांक या केकियांग सूचकांक, एक आर्थिक माप सूचकांक है, जिसे अर्थशास्त्रियों ने तीन संकेतकों का प्रयोग करके चीन की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए बनाया है।
- ये संकेतक हैं:
  - a. बिजली की खपत
  - b. रेलवे माल की मात्रा
- बैंक का कर्ज
- 2013 में जारी हाईटाँग सिक्योरिटीज द्वारा भी "केकियांग इंडेक्स" का उपयोग किया जाता है, जो वर्ष 2013 की शुरुआत से चीन की आर्थिक वृद्धि को धीमा करने का सुझाव दे रहा है।

### आर.आर.बी. का पुनर्पूजीकरण

**खबरों में क्यों है?**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के लिए 1,340-करोड़ रूपए की पुनर्पूजीकरण योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह उनके पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) में सुधार करेगा, इन संस्थानों को मजबूत करेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रावधानों हेतु महत्वपूर्ण हैं।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में जानकारी**

- ये भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सरकारी बैंक) हैं।
- ये बैंक नरसिम्हा कार्यकारी समूह (1975) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित की गई हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के कानून के बाद स्थापित किए गए थे।
- पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक "प्रथमा ग्रामीण बैंक" 2 अक्टूबर, 1975 को स्थापित किया गया था।
- एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास 50:15:35 के अनुपात में होती है।
- ये मुख्य रूप से बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- हालांकि, आर.आर.बी. में शहरी परिचालन के लिए शाखाएं हो सकती हैं और उनके संचालन के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

**आर.आर.बी. के कार्य:**



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)

- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना
- मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का वितरण, पेंशन का वितरण आदि जैसे सरकार के कार्य करना
- लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यू.पी.आई. आदि जैसी पैरा-बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना
- छोटे वित्तीय बैंक

### **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (संशोधन) योजना, 1952**

**खबरों में क्यों है?**

- हाल ही में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई.पी.एफ. योजना 1952 में संशोधन किया है।

**संशोधन की मुख्य विशेषताएं**

- यह देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ई.पी.एफ. सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम को वापस लेने की अनुमति देता है।
- यह अधिसूचना महामारी या वैश्विक महामारी के फैलने की स्थिति में अधिकतम तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या ई.पी.एफ. खाते में सदस्य की क्रेडिट राशि का 75 प्रतिशत तक की निकासी की अनुमति देती है।
- पैरा 68एल के अंतर्गत एक उप-पैरा (3) ई.पी.एफ. योजना, 1952 में है।
- संशोधित योजना, कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 को 28 मार्च, 2020 से लागू किया गया है।

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में जानकारी**

- यह केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की सहायता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय और संगठन है।
- यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

**यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) के संदर्भ में जानकारी**

- यह एक संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को आवंटित 12 अंकों की संख्या है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कई संगठनों द्वारा जारी की गई एकाधिक सदस्य आई.डी. है, तो सभी आई.डी. एक एकल यू.ए.एन. नंबर के अंतर्गत आएंगी जो कि जीवन भर के लिए एकसमान होगा।
- यह संख्या तब भी नहीं बदलेगी जब कोई कर्मचारी अपना संगठन बदलता है।

### **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (संशोधन) योजना, 1952**

**खबरों में क्यों है?**

- हाल ही में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई.पी.एफ. योजना 1952 में संशोधन किया है।

**संशोधन की मुख्य विशेषताएं**

- यह देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ई.पी.एफ. सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम को वापस लेने की अनुमति देता है।
- यह अधिसूचना महामारी या वैश्विक महामारी के फैलने की स्थिति में अधिकतम तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या ई.पी.एफ. खाते में सदस्य की क्रेडिट राशि का 75 प्रतिशत तक की निकासी की अनुमति देती है।
- पैरा 68एल के अंतर्गत एक उप-पैरा (3) ई.पी.एफ. योजना, 1952 में है।
- संशोधित योजना, कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 को 28 मार्च, 2020 से लागू किया गया है।

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में जानकारी**



Gradeup Green Card  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)

- यह केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की सहायता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय और संगठन है।
- यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

#### **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) के संदर्भ में जानकारी**

- यह एक संगठन में काम करने वाले कर्मचारी को आवंटित 12 अंकों की संख्या है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास कई संगठनों द्वारा जारी की गई एकाधिक सदस्य आई.डी. है, तो सभी आई.डी. एक एकल यू.ए.एन. नंबर के अंतर्गत आएंगी जो कि जीवन भर के लिए एकसमान होगा।
- यह संख्या तब भी नहीं बदलेगी जब कोई कर्मचारी अपना संगठन बदलता है।

#### **कंपनी फ्रेश स्टार्ट योजना, 2020 और संशोधित "एल.एल.पी. निपटान योजना, 2020"**

##### **खबरों में क्यों है?**

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने कोविड 19 के मद्देनजर "कंपनी फ्रेश स्टार्ट योजना, 2020" की शुरुआत की है और कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) को राहत प्रदान करने के लिए "एल.एल.पी. निपटान योजना, 2020" को संशोधित किया है।

##### **योजनाओं के संदर्भ में जानकारी**

- योजनाएं, कंपनी अधिनियम 2013 और एल.एल.पी. अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विभिन्न फिलिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए कॉर्पोरेट्स को अधिक समय देती हैं।
- योजनाओं का उद्देश्य उन पर संबंधित वित्तीय बोझ को कम करना है, विशेष रूप से लंबे समय तक डिफाल्ट करने वाले लोगों के लिए बोझ कम करना है, जिससे उन्हें "नई शुरुआत" करने का अवसर मिल सके।
- दोनों योजनाओं की यू.ए.पी. योजनाओं की मुद्रा के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ कंपनियों या एल.एल.पी. द्वारा विलंबित फाइलिंग के लिए अतिरिक्त दाखिल शुल्क की एकमुश्त छूट है।
- दोनों योजनाओं में दंडात्मक कार्यवाही से छूट देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसमें देरी से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
- यह संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के समक्ष अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान करता है, यदि पहले से ही जुर्माना लगाया गया है।

## विज्ञान और तकनीकी समसामयिकी

### गिसैट (जी.आई.एस.ए.टी.) -1

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तविक समय और निरंतर निगरानी करने की क्षमता के साथ श्रीहरिकोटा से एक नए युग के जियो-इमेजिंग उपग्रह गिसैट-1 को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

### गिसैट-1 के संदर्भ में जानकारी

- जी.एस.एल.वी.-एफ.10 रॉकेट, गिसैट-1 को लॉन्च करेगा।
- गिसैट-1 एक अत्याधुनिक फुर्तीला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे 36,000 कि.मी. की ऊँचाई पर भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- इसका वजन 2,275 किलोग्राम है।
- यह भूस्थिर कक्षा से संचालित हो रहा है, जो बादल रहित स्थिति में, निरंतर अंतराल पर भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक समय के अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा।
- गिसैट-1 पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएगा और प्रत्येक 2 घंटे के बाद उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा।

### मिनी मून

- हाल ही में, खगोलविदों ने पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई एक छोटी सी वस्तु देखी है, जिसे उन्होंने 2020 सी.डी. 3, एक "मिनी-मून" या ग्रह के "दूसरे चंद्रमा" के रूप में नाम दिया है।

### मिनी मून के संदर्भ में जानकारी

- मिनी-चंद्रमा की खोज एरिज़ोना में नासा द्वारा वित्त पोषित कैटालिना स्काई सर्वेक्षण (सी.एस.एस.) के कैस्पेर विर्जचोस और टेडी प्रुआइन द्वारा की गई थी।
- यह एक टेंपोरैरिली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट (टी.सी.ओ.) है, जो वास्तव में लगभग 1.9-3.5 मीटर के व्यास का एक क्षुद्रग्रह है।

### टेंपोरैरिली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- जब किसी क्षुद्रग्रह की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा को पार करती है, तो यह कभी-कभी बाद की कक्षा में कैद हो जाती है, जो कि 2020 सी.डी. 3 के साथ हुआ था।
- इस तरह के एक क्षुद्रग्रह को टेंपोरैरिली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट (टी.सी.ओ.) कहा जाता है।
- ऐसी वस्तुओं की कक्षा अस्थिर होती है।
- उन्हें हमारे स्थायी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के साथ-साथ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से भी जूझना पड़ता है।
- एक बार पृथ्वी की कक्षा में पकड़े जाने के बाद ऐसी वस्तुएँ मुक्त होने और सूर्य के चारों ओर एक स्वतंत्र कक्षा में चली जाने से पहले सामान्यतः कुछ वर्षों तक बनी रहती हैं।

### अंटार्कटिका में लाल बर्फ

- हाल ही में, अंटार्कटिका के सबसे उत्तरी प्रायद्वीप के तट पर स्थित यूक्रेन के वर्नाडस्की अनुसंधान बेस के आस-पास की बर्फ ने लाल होना शुरू कर दिया है।
- यह तरबूज परिघटना के रूप में भी जाना जाता है, जिसे प्राचीन काल से जाना जाता है।

### लाल रंग के पीछे का कारण:

- यूक्रेनी अनुसंधान बेस के आसपास पाए जाने वाले शैवाल, फ्रीजिंग तापमान और तरल पानी में बेहतर ढंग से विकसित होते हैं। गर्मियों के दौरान, जब इन सामान्य हरे शैवालों को बहुत अधिक धूप मिलती





है तो वे एक प्राकृतिक सनस्क्रीन का उत्पादन शुरू करते हैं जो बर्फ को गुलाबी और लाल रंग में रंग देता है। सर्दियों के महीनों में, वे निष्क्रिय रहते हैं।

- ये शैवाल स्वयं को गर्म रखने के लिए रंगयुक्त सनस्क्रीन का उत्पादन करते हैं और क्योंकि बर्फ, रंग से अधिक गहरी हो जाती है तो यह अधिक गर्मी को अवशोषित करती है, जिसके परिणामस्वरूप वह तेजी से पिघलती है।

#### सफेदी में परिवर्तन

- ये शैवाल बर्फ की सफेदी में परिवर्तन कर देते हैं, जो प्रकाश या विकिरण की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे बर्फ की सतह परावर्तित करने में सक्षम होती है।
- वर्ष 2017 में अलास्का प्रशांत विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यह आसपास की बर्फ को तेजी से पिघलाने का कारण बनता है।

#### स्वालबार्ड वैश्विक बीज वॉल्ट

- हाल ही में, दुनिया भर के 36 विभिन्न संस्थानों से 60,000 नए बीज नमूनों का एक ताजा स्टॉक फरवरी, 2020 में बीजों की आरक्षित वॉल्ट में जमा किया गया था।

#### स्वालबार्ड वैश्विक बीज वॉल्ट के संदर्भ में जानकारी

- इसे पृथ्वी के 'प्रलय के दिन के वॉल्ट' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें अब लगभग 1.05 मिलियन बीज हैं।
- वॉल्ट का उद्देश्य एक प्रलय के दिन की घटना, आपदा, जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में फसल के बीजों की एक विशाल विविधता को संरक्षित करना है।
- यह वॉल्ट स्पिट्सबर्गन के द्वीप पर स्थित है, जो नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है।
- इस वॉल्ट को कृत्रिम रूप से 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ठंडा रखा जाता है।

#### भारत के बीज बैंक के संदर्भ में जानकारी

- भारत ने भी लद्दाख के चांग ला में अपनी बीज भंडारण सुविधा स्थापित की है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तत्वावधान में 2010 में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सज द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था।

#### राइडर- एक्स

- हाल ही में, राइडर-एक्स नामक एक नई विस्फोटक अनुसंधान ड्रिवाइस का पुणे में राष्ट्रीय विस्फोटक अनुसंधान 2020 कार्यशाला में अनावरण किया गया था।
- राइडर-एक्स को उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एच.ई.एम.आर.एल.)- पुणे में डी.आर.डी.ओ. की एक शाखा और बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था।

#### विशेषताएं और क्षमताएं

- यह दो मीटर तक की दूरी से 20 होममेड विस्फोटक का पता लगा सकता है।
- राइडर-एक्स की डेटा लाइब्रेरी को विभिन्न विस्फोटकों का उनके शुद्ध और दूषित रूपों में पता लगाने के लिए अपडेट किया जा सकता है।
- इस प्रकार के उपकरण होममेड विस्फोटक से खतरे को कम करने के लिए वृद्धिशील थे।
- इस ड्रिवाइस के नारकोटिक्स, स्थानीय पुलिस के लिए, कस्टम और अन्य पहचान एजेंसियों के लिए विभिन्न अनुप्रयोग हैं जिन्हें विभिन्न तत्वों का पता लगाने की आवश्यकता होती है जो विस्फोटक या गैर-विस्फोटक प्रकृति के हो सकते हैं।

### मैक-बाइंडिंग शर्त

- हाल ही में, जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट की गति अभी भी 2G तक ही सीमित है जिसे "मैक-बाइंडिंग" के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

### मैक-बाइंडिंग क्या है?

- मैक-बाइंडिंग का अर्थ अनिवार्य रूप से मैक और आई.पी. एड्रेस को एक साथ बांधना है जिससे कि उस आई.पी. एड्रेस के सभी अनुरोधों को केवल उस कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाए जिसका विशिष्ट मैक एड्रेस हो।
- प्रत्येक डिवाइस में एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल (मैक) एड्रेस होता है, यह एक हार्डवेयर पहचान संख्या होती है जो सभी के लिए विशिष्ट होती है।
- इंटरनेट एक्सेस करते समय प्रत्येक डिवाइस को एक आई.पी. एड्रेस सौंपा जाता है।
- वास्तविकता में इसका अर्थ है कि यदि आई.पी. एड्रेस या मैक एड्रेस बदल जाता है तो डिवाइस पर इंटरनेट नहीं चलाया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, निगरानी प्राधिकरण उस विशिष्ट प्रणाली का पता लगा सकते हैं जहाँ से एक विशेष ऑनलाइन गतिविधि की गई थी।

### अनग्रेडेड एक्स परिकल्पना

- नए शोध के अनुसार, दुनिया भर की महिलाओं की तुलना में पुरुषों की कम उम्र के लिए सेक्स गुणसूत्र प्रमुख कारण हैं।

### मानव गुणसूत्र के संदर्भ में जानकारी

- मानव कोशिका में 23 जोड़ गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है।
- सेक्स गुणसूत्र के एक जोड़े के नाम X और Y हैं, जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति पुरुष है या महिला है।
- एक महिला में दो X गुणसूत्र (XX) होते हैं जबकि एक पुरुष में एक X और एक Y (XY) गुणसूत्र होता है।

### अनग्रेडेड एक्स परिकल्पना के संदर्भ में जानकारी

- यह परिकल्पना बताती है कि X गुणसूत्र में व्यक्त किए गए हानिकारक जीन से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में XY में Y गुणसूत्र कम सक्षम होता है।
- एक पुरुष में, जैसा कि Y गुणसूत्र, X गुणसूत्र से छोटा होता है, यह एक X गुणसूत्र को "छिपाने" में असमर्थ होता है, जो हानिकारक उत्परिवर्तन को वहन करता है, जो बाद में व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कारण बन सकता है।
- दूसरी ओर, परिकल्पना कहती है कि एक महिला में X गुणसूत्र (XX) की एक जोड़ी में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है।
- यदि X गुणसूत्रों में से किसी एक में जीन होते हैं जो उत्परिवर्तन का सामना कर चुके हैं तो अन्य स्वस्थ X गुणसूत्र की तुलना में वह पहले खड़ा हो सकता है जिससे कि हानिकारक जीन उत्पन्न न हों।
- यह परिकल्पना के अनुसार, यह जीवन की अवधि को अधिकतम करता है।

### पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल

- अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान (ए.आर.सी.आई.), हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल (पी.ई.एम.एफ.सी.) का विकास किया है।

### पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल के संदर्भ में जानकारी

- इसे प्रोटॉन-विनिमय झिल्ली ईंधन सेल के रूप में भी जाना जाता है।

- इस प्रकार का ईंधन सेल मुख्य रूप से परिवहन अनुप्रयोगों के साथ ही स्थिर ईंधन सेल अनुप्रयोगों और पोर्टेबल ईंधन सेल अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया जा रहा है।
- उनकी विशिष्ट विशेषताओं में निम्न तापमान/ दाब सीमा (50 से 100 डिग्री सेल्सियस) और एक विशेष प्रोटॉन-संवाहक बहुलक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली शामिल हैं।
- पी.ई.एम.एफ.सी., बिजली उत्पन्न करती है और पी.ई.एम. इलेक्ट्रोलिसिस के विपरीत सिद्धांत पर काम करते हैं, जिससे बिजली की खपत होती है।
- ईंधन सेल प्रणाली, पारंपरिक बैटरी बैकअप प्रणाली द्वारा आवश्यक ग्रिड पावर की आवश्यकता के बिना हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके स्थायी बिजली प्रदान करने के संदर्भ में एक संभावित लाभ प्रदान करते हैं।

### एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.एस.टी.) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय के पौधे से संबंधित एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण पौधा-वृद्धि-संवर्धन और एंटीफंगल गतिविधियों को पाया है।

### एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया के संदर्भ में जानकारी

- यह जेनेरा, यूरिया से संबंधित है जो शक्तिशाली पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाले उपभेदों का पता लगाता है।
- शोधकर्ताओं ने विभिन्न वातावरणों में पाए जाने वाले 46 एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया को अलग किया है।
- एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया के अधिकांश एंटीफंगल गतिविधि वाले आइसोलेट्स ने चिटिनासे, एन.आर.पी.एस. (नॉनराइबोसोमल पेप्टाइडस सिंथेज) या पी.के.एस.-1 (पॉलीकेटाइड सिंथेज) जीन की उपस्थिति को दर्शाते हैं।
- ये रोगजनक पौधे कवक के विकास को रोकने के लिए तंत्र की उपस्थिति का सुझाव दे रहे हैं।
- इस बैक्टीरिया के तनाव के अनुप्रयोग चाय बागान में रासायनिक उर्वरकों और कवकनाशी को कम करने में सक्षम होंगे।

### नोट:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.एस.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि उत्पादित चाय का एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है।

### डब्ल्यू.एच.ओ. ने कोरोनावायरस को विश्वमारी घोषित किया है।

- 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंततः नॉवेल कोरोनावायरस को विश्वमारी घोषित कर दिया है।

### विश्वमारी क्या है?

- डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, एक महामारी, दुनिया भर में एक नई बीमारी का प्रसार है।
- अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने विश्वमारी को "एक महामारी जो कई देशों या महाद्वीपों में फैली हुई है, सामान्यतः बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है।" के रूप में परिभाषित किया है।
- इसी निकाय ने एक विश्वमारी को "एक वृद्धि, एक बीमारी के मामलों की संख्या में होने वाली अचानक तेज वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है, जो इतनी हो जाती है जितना कि उस क्षेत्र में उस जनसंख्या में सामान्यतः अनुमानित किया जाता है।

### कोरोनावायरस को विश्वमारी घोषित करने के बाद परिवर्तन



**Gradeup Green Card**  
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams  
[CHECK HERE](#)

- बीमारी को विश्वमारी घोषित करने का मतलब यह नहीं है कि डब्ल्यू.एच.ओ. को इससे लड़ने के लिए अधिक धन या अधिक शक्तियां मिलती हैं। हालाँकि, यह घोषणा एक औपचारिक घोषणा है जो डब्ल्यू.एच.ओ., कोविड 19 के प्रभाव को एक नए स्तर तक पहुँचाने का आकलन करता है।

#### स्थानिक

- जब एक बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र या आबादी में स्थायी रूप से मौजूद होती है।
- अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मलेरिया निरंतर रूप से चिंता का विषय बना हुआ है।

#### महामारी

जब बीमारी का प्रकोप एक ही समय में कई लोगों पर हमला करता है और एक या कई समुदायों में फैल सकता है।

#### बाई-ल्युमिनिसेंट सुरक्षा स्याही

- सी.एस.आई.आर.- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने पासपोर्ट के नकली मुद्रण और मुद्रा नोटों की जालसाजी पर अंकुश लगाने के लिए एक बाई-ल्युमिनिसेंट सुरक्षा स्याही विकसित की है।

#### बाई-ल्युमिनिसेंट सुरक्षा स्याही के संदर्भ में जानकारी

स्याही को 1 किग्रा के एक बैच में तैयार किया गया था और इसे बैंक नोट प्रेस (बी.एन.पी.), देवास, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड (एस.पी.एम.सी.आई.एल.), नई दिल्ली को दिया गया था।

- यह क्रमशः 254 नैनोमीटर और 365 नैनोमीटर पर दो विभिन्न संदीपन स्रोतों द्वारा प्रकाशित होने पर लाल और हरे रंगों में चमकती है।
- इस सूत्रीकरण का उपयोग पासपोर्ट, सरकारी दस्तावेजों, छेड़छाड़ स्पष्ट लेबल, पहचान पत्र आदि की प्रामाणिकता की जांच के लिए किया जा सकता है।

#### राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन

- भारत ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015 के बाद से सिर्फ तीन सुपर कंप्यूटर का उत्पादन किया है।

#### राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के संदर्भ में जानकारी

- यह देश की समग्र कंप्यूटिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समर्पित कार्यक्रम है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन का संचालन करते हैं।
- मिशन की नोडल एजेंसियां पुणे के उन्नत कम्प्यूटिंग (सी.-डैक) विकास केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), बेंगलुरु हैं।
- राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन ने 70 उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के एक नेटवर्क की स्थापना की परिकल्पना की है।
- राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत निर्मित सुपर कंप्यूटर
  - a. आई.आई.टी.- बी.एच.यू., वाराणसी में स्थापित परम शिवाय
  - b. आई.आई.टी.-खड़गपुर में स्थापित दूसरा सुपर कंप्यूटर
  - c. आई.आई.एस.ई.आर.-पुणे में स्थापित परम ब्रह्मा
- विश्व स्तर पर, चीन ने पिछले छह महीनों में आठ और सुपर कंप्यूटरों को शामिल करके सुपरकंप्यूटर दौड़ का नेतृत्व करना जारी रखा है, जिससे इसकी मौजूदा संख्या बढ़कर 227 हो गई है और इसके बाद अमेरिका (119 सुपर कंप्यूटर) है।

### सेप्सिस (पूति)


- सेप्सिस, एक जानलेवा अंग विकृति है जो संक्रमण की प्रतिक्रिया में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की अधिक प्रतिक्रिया के कारण होती है। इस अतिसक्रिय, विषाक्त प्रतिक्रिया से ऊतक क्षति, कई अंगों की विफलता और मृत्यु तक हो सकती है।

### सेप्सिस हेतु जिम्मेदार जीव

- विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी- सेप्सिस विभिन्न प्रकार के रोगजनकों द्वारा हो सकता है।
- सामान्यतः सेप्सिस के कारण निमोनिया, घाव संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण या पेट की गुहा में संक्रमण होते हैं।
- ज्ञात मौसमी इन्फ्लूएंजा वायरस के अतिरिक्त अन्य वायरस जो अत्यधिक संक्रामक होते हैं, जैसे कि कोरोनावायरस, इबोला और येल्लो बुखार वायरस, डेंगू स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू के वायरस भी सेप्सिस का कारण बन सकते हैं।

### ओकुलुडेंटाविस खाउंगरे: छोटे डायनासोर

- वैज्ञानिकों ने म्यांमार में एम्बर में घिरे ओकुलुडेंटाविस खाउंगरे नामक एक 100 मिलियन वर्ष पुराने उड़ने वाले डायनासोर की पहचान की है, जो शायद अब तक खोजे गए सबसे छोटे डायनासोर हैं।



- संरक्षित खोपड़ी सिर्फ 7.1 मि.मी. (इंच के एक तिहाई से कम) लंबी है।
- यह आज की सबसे छोटी जीवित चिड़िया, हमिंगबर्ड की तुलना में छोटी होती है।
- इसके छोटे आकार के बावजूद, शोधकर्ताओं का मानना है कि इसने अपने शिकार पर नजर रखने के लिए अपने तीखे दांतों और बड़ी आंखों का उपयोग करते हुए कीड़ों का शिकार किया है।


### जैस्मोनिक अम्ल

#### खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पौधों में एक संचार नेटवर्क की खोज की है जो उनकी कीट प्रतिरोध में शामिल एक हार्मोन के लिए प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। उन्होंने देखा है कि कवक और कीटों के खिलाफ पौधे की रक्षा प्रतिक्रिया के लिए जैस्मोनिक अम्ल नामक हार्मोन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।




*Jasminum grandiflorum*



Methyl jasmonate




Broad beans (*Vicia faba*)



(-)-Jasmonic acid



Broad beans fruits



(+)-7-iso jasmonic acid

#### वैज्ञानिकों द्वारा अन्य निष्कर्ष

- अध्ययन टीम, जैस्मोनिक अम्ल के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया और अन्य पौधे हार्मोन रास्ते के साथ कोशिकीय क्रॉस-संचार के लिए महत्वपूर्ण जीनों की पहचान कर सकती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, पूरे तंत्र में अपनी महत्ता की कोटि में MYC2 और MYC3 जीन शीर्ष पर पहुंचे हैं।
- उन्होंने कहा कि दो जीन, प्रोटीन के उत्पादन में शामिल हैं जो हजारों अन्य जीनों की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं।
- इससे उन्हें यह समझने में भी मदद मिली है कि पौधे की रक्षा प्रतिक्रिया के दौरान कौन से जीन चालू और बंद होते हैं।
- अंततः यह प्रक्रिया प्रजनन फसलों की पहचान करने में मदद करती है जो कीटों के हमलों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम हैं।


#### पोलीमिरेज़ श्रृंखला अभिक्रिया

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने कहा है कि नामित प्रयोगशालाएं एस.ए.आर.एस.-सी.ओ.वी.-2 के लिए पारंपरिक रियल-टाइम पोलीमिरेज़ श्रृंखला अभिक्रिया (पी.सी.आर.) टेस्ट का उपयोग करेंगी।

पोलीमिरेज़ श्रृंखला अभिक्रिया के संदर्भ में जानकारी

- यह एक तकनीक का उपयोग करता है, जो डी.एन.ए. के एक खंड की प्रतियां बनाता है। पोलिमेरेज़, 'डी.एन.ए. की प्रतियां बनाने वाले एंजाइम को संदर्भित करता है।
- 'शृंखला अभिक्रिया' यह है कि डी.एन.ए. के खंड की प्रतियां कैसे बनाई जाती हैं, तेजी से- एक की दो और दो की चार प्रति बनाई जाती हैं और आगे भी इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है।
- पी.सी.आर. तकनीक का आविष्कार करने वाले अमेरिकी जैव रसायन वैज्ञानिक, कैरी मुल्लिस को वर्ष 1993 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।




### भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संदर्भ में जानकारी

- यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के सूत्रीकरण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय है, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
- आई.सी.एम.आर. को भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

**दुर्घटनाओं के दौरान तेजी से रक्त बहने को रोकने के लिए स्टार्च-आधारित सामग्री विकसित की गई है।**

खबरों में क्यों है?

- भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एन.एस.टी.) के वैज्ञानिकों ने एक स्टार्च-आधारित 'हेमोस्टैट' सामग्री विकसित की है।



उद्देश्य:

- यह शारीरिक रूप से अतिरिक्त तरल पदार्थ को अवशोषित करके रक्त में प्राकृतिक रूप से थक्के बनने के कारकों को केंद्रित करने में मदद करेगा।

यह किस प्रकार काम करता है?

- ये बायोडिग्रेडेबल माइक्रो कण हैं जो घाव पर जेल बनाने के लिए गठबंधन करते हैं जो मौजूदा विकल्पों पर महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करते हैं।
- उत्पाद में अधिक अवशोषण क्षमता, बेहतर अवशोषण है, यह सस्ता, बायोकम्पैटिबल के साथ-साथ बायोडिग्रेडेबल भी है।
- हेमोस्टैट सामग्री, रक्त में प्राकृतिक रूप से थक्के बनने के कारकों को केंद्रित करके अतिरिक्त द्रव को अवशोषित करती है जो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि, जब नॉन-बायोडिग्रेडेबल सामग्री हटा दी जाती है तो रक्तस्राव फिर से शुरू हो सकता है।

**कोरोनावायरस और संपर्क अनुरेखण**

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि संपर्क अनुरेखण, आधारभूत तरीके से कोरोनावायरस महामारी से लड़ने का एक अभिन्न अंग है।

संपर्क अनुरेखण के संदर्भ में जानकारी

- संपर्क अनुरेखण, संचरण को रोकने के लिए उन लोगों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन की प्रक्रिया है, जो बीमारी के संपर्क में आ चुके हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो एस.ए.आर.एस.-सी.ओ.वी.-2 के संदिग्ध, संभावित या पुष्टि मामले की जांच/ उपचार के अंतर्गत सूचकांक रोगी के संपर्क में आया है, उसकी निगरानी की जानी चाहिए।



## Hunting down the virus

Health workers identify, assess and manage people who have been exposed to a disease to prevent onward transmission. This part of their job is called "contact tracing"

WHO ARE "CONTACTS"?	WHAT IS THE DATA THE HEALTH WORKERS ARE SUPPOSED TO COLLECT IN THE FIRST 48 HOURS	IF THE CONTACTS ARE...
<p><b>Index patient who tests positive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Family</li> <li>Health workers</li> <li>Room-mates</li> <li>Visitors</li> <li>Close physical contacts</li> <li>Partners</li> <li>Schoolmates</li> <li>Colleagues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Health worker should visit the contact</li> <li>Identify the contact, monitor for 2-8 days</li> <li>Collect demographic details, date of exposure with the patient</li> <li>Date of onset of symptoms, if any</li> </ul>	<p><b>...symptomatic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refer for isolation</li> <li>Perform tests</li> <li>Initiate medical management</li> <li>If tested positive, move contact to a health facility</li> </ul> <p><b>...asymptomatic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Place under home quarantine for 28 days</li> <li>Watch for symptoms</li> <li>Maintain a daily list of contacts</li> </ul>

A traveller being scanned at the Ernakulam railway station on Wednesday.  
THULASI KAKKAT

### रोगसूचक संपर्क

- जिन लोगों को बुखार और खांसी है और पिछले 28 दिनों के भीतर पुष्टि किए गए मामले के संपर्क में आए हैं, उन्हें सख्त संक्रमण नियंत्रण के लिए आइसोलेशन के लिए भेजा जाना चाहिए।

### स्पर्शोन्मुख संपर्क

- उन्हें रोगी के साथ अंतिम संपर्क के बाद कम से कम 28 दिनों के लिए घर (घर संगरोध) पर रहना चाहिए।
- संपर्कों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी शुरू करनी चाहिए और रोगी से अंतिम संपर्क के 28 दिनों के भीतर बुखार और खांसी के लक्षणों पर गौर करना चाहिए और उन लोगों की एक सूची बनाए जिनके संपर्क वे दैनिक आधार पर रहते हैं।

### विशाल एक्सोप्लैनेट: WASP-76b

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, खगोलविदों ने WASP-76b नामक एक एक्सोप्लैनेट का अवलोकन किया है, जहां उन्हें संदेह है कि यह पानी के बजाय लोहे की बारिश करता है।

#### WASP-76b के संदर्भ में जानकारी


- यह एक एक्सोप्लैनेट है, जो हमारे बृहस्पति गृह की चौड़ाई का दोगुना है जिसका नाम यू.के. के नेतृत्व वाली वास्प दूरदर्शी प्रणाली से लिया गया है जिसने चार वर्ष पहले इसका पता लगाया था।
- यह पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और यह अपने तारे के इतने करीब है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 43 घंटे लगते हैं।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, लोहे की बारिश इसलिए होती है क्योंकि एक्सोप्लैनेट, हमेशा तारे के समान चरण की ओर उपस्थित रहता है जिसे टाइडली लॉक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे अपनी धुरी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि तारे का चक्कर लगाने में लगता है।

**नोट:** एक्सोप्लैनेट का अर्थ वह ग्रह है, जो सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करता है।

## प्रोब-फ्री डिटेक्शन परख

### खबरों में क्यों है?

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने यहां कोविड-19 का पता लगाने के लिए **प्रोब-फ्री डिटेक्शन परख** नामक एक विधि विकसित की है।
- **राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे**, नैदानिक नमूनों पर इस परीक्षण को मान्य करने की प्रक्रिया में है।



### जांच क्या है?

- जांच, जीन के हित के लिए प्रशंसनीय हैं और एक आणविक प्रकाशस्तंभ के साथ लेबल किए गए हैं।
- एक जांच, डी.एन.ए. या आर.एन.ए. का एकल-फंसा अनुक्रम है जिसका उपयोग नमूना जीनोम में इसके प्रशंसनीय अनुक्रम की खोज के लिए किया जाता है।
- एक जांच को सामान्यतः एक रेडियोधर्मी या रासायनिक टैग के साथ लेबल किया जाता है जो इसके बंधन की कल्पना करने की अनुमति देता है।

इसलिए, कोविड-19 का पता लगाने के मामले में, 'प्रोब-फ्री डिटेक्शन परख' विकसित की गई है।

### इससे कैसे फायदा होगा?

- प्रोब-फ्री डिटेक्शन परख पद्धति से परीक्षण लागत में काफी कमी आएगी।
- यह पहल कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षण टूलकिट को बड़े वर्गों के लिए किफायती बनाएगा।
- समाज के उन बड़े समूहों का पता लगाया जा सकता है, जहां प्रकोप हुआ है।

### वर्तमान में कौन से परीक्षण किए जा रहे हैं?

- वर्तमान में, भारत सरकार ने एन.ए.बी.एल. मान्यता के साथ निजी प्रयोगशालाओं को आर.एन.ए. वायरस के लिए रियल-टाइम पी.सी.आर. एस.ए. के लिए कोविड-19 परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है।
- ये परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

### आई.सी.एम.आर. के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जैव चिकित्सा अनुसंधान के गठन, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष निकाय है।
- यह संस्थान दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।

### राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे एक भारतीय विषाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान है।


- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.एम.आर.) की परिवर्तनीय विज्ञान कोशिकाओं में से एक है।
- पहले इसे विषाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था और रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया था।
- इसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. एच.5 संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है।

**नोट:** डब्ल्यू.एच.ओ. एच.5 संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क को डब्ल्यू.एच.ओ. के तदर्थ घटक के रूप में स्थापित किया गया था। वैश्विक इन्फ्लूएंजा निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली (जी.आई.एस.आर.एस.), मानव स्वास्थ्य में एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच5 एन1) संक्रमण और इन्फ्लूएंजा महामारी संबंधी तैयारियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में तैयार किया गया है।

### हंतावायरस

#### खबरों में क्यों हैं?

- ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, चीन के युनान प्रांत के एक व्यक्ति की शांदोंग प्रांत जाने वाली बस में हंतावायरस से मौत हो गई है।



#### हंतावायरस क्या है?

- हंतावायरस, आर.एन.ए. वायरस हैं जो कृन्तकों (कृंतक-जनित) द्वारा मनुष्यों में प्रेषित किए जाते हैं।
- अमेरिका में हंतावायरस को "न्यू वर्ल्ड" हंतावायरस के रूप में जाना जाता है और इससे हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (एच.पी.एस.) हो सकता है।
- अन्य हंतावायरस को "ओल्ड वर्ल्ड" के रूप में जाना जाता है, हंतावायरस ज्यादातर यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं और गुर्दे सिंड्रोम (एच.एफ.आर.एस.) के साथ रक्तस्रावी बुखार का कारण बन सकते हैं।
- हंतावायरस संक्रमण या पल्मोनरी सिंड्रोम को रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- अब तक, अमेरिका में हंतावायरस का संचरण मानव-से-मानव संपर्क से स्थानांतरित नहीं हुआ है।

**नोट:** संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण हंतावायरस, जो एच.पी.एस. का कारण बन सकता है वह सिन नोम्ब्रे वायरस है, जो हिरण चूहे से फैलता है।

#### मेजबान विशिष्ट

प्रत्येक हंतावायरस सीरोटाइप में एक विशिष्ट कृंतक मेजबान प्रजातियां होती हैं।

हंतावायरस मनुष्यों में निम्न के कर्णों द्वारा फैलता है:

- कृंतक मूत्र
- मल

- लार

अतः इन मलमूत्रों से युक्त वायु कणों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

### अमिट स्याही

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा होम क्वारंटाइन के लिए मुहर लगाने के लिए व्यक्तियों पर अमिट स्याही के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है।



#### अमिट स्याही के संदर्भ में जानकारी

- यह एक बैंगनी रंग की स्याही है, जिसे मतदान केंद्र में मतदाता के बाएं हाथ की पहली उंगली पर लगाया जाता है।
- एक बार लगाए जाने के बाद, स्याही को कई महीनों तक किसी भी रासायनिक, डिटर्जेंट, साबुन या तेल द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है।
- यह सामान्यतः आम चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली मतदाता स्याही के रूप में जाना जाता है।
- मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, इस स्याही का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।

#### रासायनिक घटक

- इसका मुख्य घटक सिल्वर नाइट्रेट (7% से 25% के बीच होता है) होता है, जो त्वचा प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है और एक मजबूत बंधन बनाता है।
- यह एक गहरा दाग छोड़ता है, जो कई दिनों से लेकर हफ्तों तक बना रहता है लेकिन आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
- निशान केवल तभी जाएगा जब पुरानी त्वचा की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं और नई त्वचा की कोशिकाएं आने लगती हैं।

**डब्ल्यू.एच.ओ. ने चार सबसे आशावादी कोरोनावायरस उपचारों का वैश्विक मेगा परीक्षण सॉलिडैरिटी शुरू किया है।**

#### खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने एक बड़ी वैश्विक परीक्षण की घोषणा की है, जिसे सॉलिडैरिटी (एकात्मता) कहा जाता है।

#### उद्देश्य

- इस परीक्षण में चार सबसे आशाजनक उपचारों के माध्यम से कोरोनावायरस के खिलाफ अध्ययन, परीक्षण और एंटीडोट का विकास होना शामिल है, जो इस प्रकार हैं:

- रेमेडिसिविर यौगिक, यह प्रायोगिक एंटीवायरल यौगिक व्यापक रूप से अतीत में इबोला और अन्य खतरनाक वायरस से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
1. **क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन:**
    - इसका उपयोग मलेरिया से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने भी पॉजिटिव कोविड-19 रोगियों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और देखभाल करने वालों के लिए इस दवा की सिफारिश की है।
  2. **लोपिनाविर और रिटोनाविर का संयोजन**
    - यह दवा संयोजन, ह्यूमन इम्यूनोडिफेन्सिअन्सी वायरस (एच.आई.वी.) के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है।
    - यह संयोजन अंगों के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।
    - भारत में, यह संयोजन कोरोनावायरस के पहले मामले का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो इटली का एक युगल थे।
  3. **रिटोनाविर/ लोपिनाविर प्लस इंटरफेरॉन-बीटा**
    - यह इंटरफेरॉन-बीटा के साथ दो एंटीवायरल को जोड़ता है, जो शरीर में सूजन को विनियमित करने में शामिल एक अणु है।

### **भारत में डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी देने वाली एजेंसियां**

#### **खबरों में क्यों हैं?**

- हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एन.आई.वी.) के साथ तीन अन्य केंद्रों को मंजूरी दी है, जो नैदानिक किट को मंजूरी देने के लिए एजेंसियों के रूप में हैं।

#### **ये हैं:**

1. राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे
  2. राष्ट्रीय हैजा एवं आंत संबंधी विकास संस्थान, कोलकाता
  3. राष्ट्रीय पैथोलॉजी संस्थान, नई दिल्ली
- इससे पहले, आवश्यक नियम था कि केवल अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) और यूरोपीय सी.ई. द्वारा अनुमोदित किटों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब यह अनिवार्य नहीं है।
  - पुणे में डायग्नोस्टिक किट बनाने वाली कंपनी माईलैब, किट को वैध बनाने वाली पहली स्वदेशी निर्माता कंपनी है।


#### **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संदर्भ में जानकारी**

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), जैव चिकित्सा अनुसंधान के सूत्रीकरण, समन्वय और संवर्धन हेतु भारत में शीर्ष निकाय है।
- परिषद देश में जैव चिकित्सा में बाहरी अनुसंधान के साथ-साथ आंतरिक अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है।
- भारत सरकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से आई.सी.एम.आर. को निधि देती है।

### लेजर सतह सूक्ष्म बनावट

खबरों में क्यों है?

- इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (ए.आर.सी.आई.) ने अल्ट्राफास्ट लेजर सतह बनावट तकनीक विकसित की है, जो आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन दक्षता में सुधार कर सकती है।



लेजर सतह सूक्ष्म बनावट के संदर्भ में जानकारी

- यह तकनीक सूक्ष्म-सतह बनावट सुविधाओं के आकार, आकृति और घनत्व का सटीक नियंत्रण प्रदान करती है, जिसे घर्षण और पहनने को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में गति प्राप्त हुई है।

ये तकनीकें कैसे काम करती हैं?

- इस तकनीक में, एक स्पंदित लेजर किरण बहुत ही नियंत्रित तरीके से सामग्री की सतह पर सूक्ष्म डिम्पल या खांचे बनाता है।
- इस तरह की बनावट सूखे फिसलने की स्थिति में काम करते समय मलबे को फंसा सकती हैं और कभी-कभी तेल की आपूर्ति (स्नेहक जलाशय) को बढ़ाने जैसे प्रभाव प्रदान करती हैं जो घर्षण गुणांक को कम कर सकते हैं और पहनने की दर को कम करके सक्षम कर सकते हैं।

### क्वांटम रसायन विज्ञान

खबरों में क्यों है?

- आई.आई.टी. बॉम्बे ने क्वांटम रसायन विज्ञान के लिए नई विधियां विकसित की हैं और जलीय डी.एन.ए. के इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट का अध्ययन करने के लिए उन्हें कुशल और मुक्त सॉफ्टवेयर में कार्यान्वित किया है।
- इस अध्ययन में कैंसर के विकिरण चिकित्सा आधारित उपचार में कई निहितार्थ हैं।

क्वांटम रसायन विज्ञान के संदर्भ में जानकारी:

- क्वांटम रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की नई शाखाओं में से एक है जो प्रयोगशाला परीक्षण किए बिना परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक गुणों को समझने की कोशिश करती है।
- इसके बजाय, क्वांटम रसायन विज्ञान में, वैज्ञानिक अणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं और यह वास्तव में माप किए बिना उस विशेष अणु के परितः प्रत्येक मापनीय परिमाण देता है।
- हालांकि, श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग से उत्पन्न गणितीय समीकरण बहुत जटिल हैं और केवल कंप्यूटर का उपयोग करके हल किया जा सकता है।
- इसलिए, इन समीकरणों को हल करने के लिए नए सिद्धांतों को विकसित करने और कुशल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता है।

### **कॉनवेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी**

#### **खबरों में क्यों है?**

- अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) ने पिछले हफ्ते गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए ठीक हो चुके रोगियों के रक्त प्लाज्मा के उपयोग को मंजूरी प्रदान की थी।
- न्यूयॉर्क ठीक हो चुके मरीजों के रक्त के साथ कोरोनावायरस के उपचार का परीक्षण करने वाला पहला राज्य होगा।
- यह विधि एक सदी से भी अधिक समय पुरानी है, लेकिन इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में दशकों से व्यापक रूप से नहीं किया गया है।

#### **कॉनवेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है?**

- इस विधि में पहले से संक्रमित रोगियों के रक्त से वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी को निकालना शामिल है।
- यह ठीक हो चुके रोगियों में विकसित एंटीबॉडी का उपयोग कोरोनावायरस के खिलाफ करना चाहता है।
- ऐसे लोगों से पूरा रक्त या प्लाज्मा लिया जाता है और फिर प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इस प्रकार इंजेक्ट किया जाता है कि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ लड़ने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- एक अध्ययन के अनुसार, द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज ने पिछले महीने कहा है कि एक कोविड-19 रोगी सामान्यतः 10-14 दिनों में वायरस के खिलाफ प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करता है।
- इसलिए, यदि प्रारंभिक अवस्था में प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है, तो यह संभवतः वायरस से लड़ने में और गंभीर रूप से बीमार होने से रोकने में मदद कर सकता है।

**नोट:** वर्ष 2014 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के रोगियों का कॉनवेलसेंट संपूर्ण रक्त और प्लाज्मा के साथ उपचार करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे।

### **सोडियम हाइपोक्लोराइट**

#### **खबरों में क्यों है?**

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों को सैनेटाइज करने के लिए प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन (1% सांद्रता) का छिड़काव किया है।

#### **सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या है?**

- सोडियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः ब्लीच के रूप में जाना जाता है, इसका प्रायः एक कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सफाई और कीटाणुशोधन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो क्लोरीन निकालता है, जो कि एक कीटाणुनाशक है।
- यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटाणुनाशक है जो वायरस, बैक्टीरिया, कवक और माइक्रोबैक्टीरियम के कीटाणुशोधन के लिए प्रभावी है। हालांकि, सोडियम हाइपोक्लोराइट बैक्टीरिया के बीजाणुओं और प्रिऑन के कीटाणुशोधन में प्रभावी नहीं है।

#### **स्वास्थ्य पर असर**

- सोडियम हाइपोक्लोराइट, संक्षारक होता है और इसका मानव पर उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है, निश्चित रूप से स्प्रे या शॉवर के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं की जाती है।
- 1% सांद्र विलय, यदि मानव के संपर्क में आता है तो इसके कारण निम्न समस्याएं हो सकती हैं-
  - a. त्वचा को नुकसान
  - b. फेफड़ों को गंभीर नुकसान (यदि साँस द्वारा लिया जाए)

- c. आंखों को गंभीर क्षति/ आंखों में जलन
- d. स्थायी जहरीली विषाक्तता

विलयन में रासायन की सांद्रता उस उद्देश्य के अनुसार भिन्न होती है, जिसके लिए यह उपयोग किया जाता है।

- सामान्य घरेलू ब्लीच में सामान्यतः 2-10% सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन होता है।
- बहुत कम 0.25-0.5% सांद्रता वाले इस रसायन का उपयोग त्वचा के घावों जैसे कि कटे या खरोंच के इलाज के लिए किया जाता है।
- इससे भी कम सांद्रता (0.05%) वाले विलयन का कभी-कभी हाथ धोने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग सामान्यतः एक विरंजक एजेंट के रूप में और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किया जाता है।

**क्या इस रसायन से नॉवेल कोरोनावायरस निकल जाता है?**

- विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी विकार नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने नॉवेल कोरोनावायरस को कठोर सतहों से साफ करने के लिए लगभग 2-10% सांद्रता के घर में बने हुए ब्लीच विलयन की सिफारिश की है, न कि मनुष्यों पर इसके उपयोग की सिफारिश की है।
- यदि सोडियम हाइपोक्लोराइट, अमोनिया या क्लोरीन यौगिकों वाले अन्य क्लीनर के संपर्क में आता है तो अमोनिया गैस या क्लोरीन गैस के घातक स्तर का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि अन्य रसायनों के साथ ब्लीच को कभी न मिलाएं। इसके अतिरिक्त, अधिक सांद्रता वाले ब्लीच के उपयोग के लिए दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है।

gradeup



## सुरक्षा घटनाक्रम

### मिलन युद्धाभ्यास 2020

- कोविड-19 के प्रसार के कारण, नौसेना ने बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, मिलन 2020 को स्थगित करने का फैसला किया है, जो इस महीने के अंत में विशाखापत्तनम तट से दूर आयोजित होना था।

### मिलन के संदर्भ में जानकारी (नौसेना युद्धाभ्यास)

- यह भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में आयोजित एक बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है।
- यह एक द्विवार्षिकी कार्यक्रम है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जाता है।
- मिलन, पहली बार वर्ष 1995 में आयोजित किया गया था।

### रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयास

- पिछले दो वर्षों के दौरान देश के रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:

#### (i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- हाल ही में, एफ.डी.आई. नीति को संशोधित किया गया है और संशोधित नीति के अंतर्गत:
- स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश के 49 प्रतिशत को अनुमति प्रदान की गई है और 49 प्रतिशत से अधिक को सरकारी मार्ग से अनुमति प्रदान की गई है, जहाँ भी इसके परिणामस्वरूप आधुनिक तकनीक या अन्य कारणों से रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

#### (ii) रक्षा खरीद प्रक्रिया (डी.पी.पी.)

- रक्षा खरीद प्रक्रिया (डी.पी.पी.) को 2016 में संशोधित किया गया था।
- रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए डी.पी.पी.-2016 में खरीद की एक नई श्रेणी खरीद {भारतीय-आई.डी.डी.एम. (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)} पेश की गई है।
- इस श्रेणी को पूंजी उपकरणों की खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।
- इसके अतिरिक्त, खरीदें (विश्व) और खरीदें और बनाएं (विश्व) श्रेणियों पर पूंजी अधिग्रहण की खरीदें (भारतीय) और खरीदें और बनाएं (भारतीय) श्रेणियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- "मेक" प्रक्रिया**
- फरवरी, 2018 में मेक-II उप-श्रेणी के लिए एक अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, जिसमें कई उद्योग अनुकूल प्रावधान पेश किए गए हैं।
- रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं के स्वदेशी विकास में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देने के सरकार के इस प्रयास को बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
- फरवरी, 2019 में ओ.एफ.बी./ डी.पी.एस.यू. में कार्यान्वयन के लिए मेक-II प्रक्रिया को भी अधिसूचित किया गया है।

#### (iii) रक्षा उत्कृष्टता फ्रेमवर्क हेतु नवाचार

- इस फ्रेमवर्क को आत्मनिर्भरता और एम.एस.एम.ई., स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवाचार, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को संलग्न करके रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

#### (iv) स्वदेशीकरण नीति

- सरकार ने मार्च, 2019 में रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए एक नीति अधिसूचित की है।
- इसका उद्देश्य एक उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों और प्लेटफार्मों के लिए आयातित घटकों (मिश्रधातु और विशेष सामग्रियों सहित) और उप-असेंबली को स्वदेशी बनाने में सक्षम है।

**(v) रक्षा गलियारे**

- सरकार ने देश में रक्षा औद्योगिक आधार के आर्थिक विकास और प्रगति के इंजन के रूप में काम करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- ये तमिलनाडु में चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झाँसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ में हैं।

**(vi) मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति**

- इस ढांचे का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में आई.पी.आर. संस्कृति को बढ़ावा देना है।

**मानवीय सहायता एवं आपदा राहत युद्धाभ्यास**

**खबरों में क्यों है?**

- रक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत युद्धाभ्यास के संदर्भ में बताया है।

**मानवीय सहायता एवं आपदा राहत युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी**

- यह भारतीय और म्यांमार वायु सेना (एम.ए.एफ.) के बीच एक युद्धाभ्यास है जिसे प्रयागराज में एच.ए.डी.आर. की थीम पर आयोजित किया गया था।
- युद्धाभ्यास के उद्देश्यों में दिए गए परिदृश्य में एच.ए.डी.आर. संचालन की योजनाएं, सर्वोत्तम अभ्यास सीखना, एच.ए.डी.आर. आपदाओं के दौरान मिशन को निष्पादित करना, खोज और बचाव मिशन प्रक्रियाओं को समझना आदि शामिल है।
- यह युद्धाभ्यास मुख्यालय सेंट्रल एयर कमांड, आई.ए.एफ. के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना की 20 सदस्यीय टीम ने युद्धाभ्यास में भाग लिया था।

**अमेरिकी रक्षा उत्पादन अधिनियम**

**खबरों में क्यों है?**

- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरोनोवायरस प्रकोप से निपटने के प्रयासों के अंतर्गत वेंटिलेटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा (रक्षा) उत्पादन अधिनियम लागू किया है।

**रक्षा उत्पादन अधिनियम क्या है?**

- रक्षा उत्पादन अधिनियम, 1950 राष्ट्रपति को घरेलू उद्योग को जुटाने की शक्ति प्रदान करता है जिससे कि राष्ट्रीय रक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति बनी रहे।
- उदाहरण के लिए, इस अधिनियम को लागू करके राष्ट्रपति को व्यवसायों और निगमों सहित व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है जिससे कि सरकारी अनुबंध किए जा सकें जिससे कि उत्पादन और आपूर्ति बनी रहे।

**कोरोनोवायरस रोगियों के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों है?**

- कोरोनोवायरस महामारी के बीच, कई देशों में वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है। वेंटिलेटर को "लाइफ सपोर्ट" भी कहा जाता है, यह सभी कोविड-19 रोगियों के लिए आवश्यक नहीं हैं।
- लेकिन कुछ रोगियों जिनमें संक्रमण के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, उनकी सांस को वेंटिलेटर द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता होती है।

- डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार, 55,000 से अधिक प्रयोगशाला-पुष्टि वाले रोगियों के विश्लेषण के आधार पर, कोविड-19 के 18.6 प्रतिशत रोगियों में सांस की कमी का अनुभव हुआ है।
- कुल मिलाकर, 1 प्रतिशत मामले गंभीर थे और उन जटिलताओं से पीड़ित थे जिनमें श्वसन विफलता, सेप्टिक शॉक और कई अंग विफलताएं शामिल थीं।

### **ऑपरेशन नमस्ते**

#### **खबरों में क्यों है?**

- हाल ही में, भारतीय सेना ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है।



#### **ऑपरेशन नमस्ते के संदर्भ में जानकारी**

- 'ऑपरेशन नमस्ते' के अंतर्गत, सेना ने अपने सभी बेसों से कोरोनावायरस से सेना को हटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
- सभी सीमा चौकियों को सीमा पार संक्रमणों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।

# यूपीएससी ईपीएफओ मासिक करंट अफेयर्स मार्च 2020